शनिवार,
८ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

संसदीय वाद-विवाद

(भाग २----प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

४८११

लोक सभा

शनिवार, ८ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गए : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

८-१५ म० पू०

आश्वासन समिति

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थान

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक

सचिव : लोक-सभा के प्रक्रिया नियम १७८ के अधीन मुझे प्रतिवेदित करना है कि राज्य परिषद् द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में संलग्न विवरण वाली याचिका उपलब्ध हुई है ।

४८१२

विवरण

राज्य परिषद द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में याचिकाएं ।

हस्ताक्षर कर्ताओं की संख्या	जिला या नगर	अन्य	याचिकाओं की संख्या
४५०	बिलासपुर नगर तथा अन्य स्थान	बिलासपुर	८

सदन-पटल पर रखे गए पत्र

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय बताने वाली विज्ञाप्ति

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : डा० अमरनाथ झा की अध्यक्षता में काम करने वाले चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों को बताने वाला एक विवरण मैं सदन-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस---१५७/५४]**

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं संसद् सदस्यों के वेतन और

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—क्रमागत

अध्यक्ष महोदय : अब सदन दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने वाले डा० काटजू के प्रस्ताव और उस के बारे में श्री एस० वी० रामास्वामी के प्रस्ताव तथा सदन में रखे गए अन्य संशोधनों पर आगे विचार करेगा ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के बारे में एक बहुत लम्बी चर्चा हो चुकी है । बहुत सी कठोर बातें कही गई हैं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे कोई चिन्ता नहीं, पर यहां अपनी रक्षा के लिये उपस्थित न रहने वाले कुछ वर्गों की निन्दा करते समय जिस अतिरंजित और एकपक्षीय भाषा का प्रयोग किया गया है, उस से मुझे बहुत दुख पहुंचा है । यह विधेयक परिपूर्ण नहीं भी हो सकता है । मैं शुरू से माननीय सदस्यों से कहता रहा हूं कि वे जैसे चाहें इस में सुधार कर सकते हैं, परन्तु मुझे एक प्रकार का जल्लाद कह कर पुकारा गया है, मानों कोई न्याय नहीं होता और जिसे भी न्यायालयों के सामने ले जाया जाता है, उसे बिना जांच सजा दे दी जाती है और इस सब के लिये मैं जिम्मेवार हूं । मैं इन सब बातों को एक मिनट बाद लूंगा, इस बीच मैं कुछ प्रारंभिक बातों को ले रहा हूं ।

मेरे बंगाली मित्र श्री चटर्जी ने सुझाया था कि इस विधेयक के एक विधि-आयोग को न सौंपे जाने से उन्हें घोर निराशा हुई है । उन का सुझाव था कि इस विधि आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधिपति, विभिन्न उच्च न्यायालयों के एक-दो मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख वकील, महाधिवक्ता, संसद् सदस्य और प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति होने चाहिये थे और वे सारे देश का दौरा कर के तथा इस में चाव लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बात कर के प्रतिवेदन तैयार करते । पर कोई यह नहीं कह सकता कि इस समस्या का तत्काल समाधान अत्यावश्यक नहीं है प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने माना है कि भारतीय जनता ने दंड न्यायालयों में अपना विश्वास लगभग खो दिया है । उन का विचार है कि वहां न्याय नहीं हो रहा है और मुझे तत्काल इस भावना पर ध्यान देना चाहिये था । यदि आप किसी बात को लगभग अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर देना चाहते हैं, तो इस के लिये एक समिति नियुक्त कर दीजिए । कृपया एक बात याद रखें कि पहले अनेकों समितियां इस बारे में बन चुकी हैं । और उन का कोई नतीजा नहीं निकला । ऐसी बात नहीं कि इस संसद् से कहा गया है कि उचित जानकारी के बिना इस विषय को निपटाए । हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में समितियां नियुक्त की गई हैं । यू० पी० में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति—वांचू समिति—नियुक्त की गई थी । एक समिति बम्बई में भी बनी थी और तीसरी कलकत्ते में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में बनी थी । दुर्भाग्य से इस समय मेरे पास वे कागज नहीं हैं, जिन में इन समितियों की सूची दी गई है । उन्हों ने वर्षों में साक्ष्य

एकत्र किया । वह सब सामग्री मेरे पास है और प्रवर समिति तथा संसद् के दोनों सदन उस पर विचार कर सकते हैं । फिर जैसा मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था, गृह मंत्रालय १९५१ से विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करता चला आ रहा है । पंजाब सरकार के अनुरोध पर--वह पत्र माननीय सदस्यों के पास भी परिचालित किया जा चुका है और उन्हों ने भी देखा होगा--हम इस विधेयक को यथासंभव विशद बनाना चाहते थे । सैकड़ों प्रकार के विचार आ रहे थे । फिर मैं ने पूरी समस्या को लेने वाला एक बड़ा सा ज्ञापन परिचालित किया और मैं ने उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों, महाधिवक्ताओं, राज्य सरकारों, विधिजीवी संघों आदि द्वारा दी गई सहायता और परामर्शों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की । अध्यक्ष महोदय, फिर आप की अनुमति से मैं ने गजट में इस विधेयक को ही प्रकाशित कर दिया और दूसरे ही दिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि भारत के प्रायः सभी समाचार पत्रों ने इस विधेयक के उपबन्धों की चर्चा करते हुए छः स्तंभों का एक-एक पृष्ठ तक भर दिया । इस विधेयक और उस विधेयक में बहुत अन्तर है । अपने एक प्रेस-सम्मेलन में मैं ने देश की सारी जनता, विधिजीवी संघों, न्यायपालिका और इस विषय में रुचि लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वे अपने-अपने विचार भेजें । २०७ विचार मेरे पास आए । मेरे अत्यन्त आदरणीय मित्र कहते हैं कि देश में ३६ करोड़ व्यक्ति हैं और उत्तर में कुल २०७ विचार मिले । शायद उन्हें आशा थी कि ३६ करोड़ व्यक्ति कम से कम ३६ लाख विचार तो भेजेंगे ही । इन २०७ में ५६ विधिजीवी संघ थे, ४०-५० जिला सत्र न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे, व्यक्तिगत वकील थे, राज्य सरकारें थीं, इन सब लोगों ने अपने विचार भेजे । हम और क्या चाहते हैं ? यह तत्काल अत्यावश्यक समस्या है । एक विधेयक आप के सामने रखा गया है, जो इन वर्षों में एकत्र होने वाली इस सारी सामग्री पर आधारित है । पर मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि कुछ भी सामग्री नहीं है । जनता की राय जानने के लिये परिचालन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है । अब किस प्रकार की राय आएगी ? मैं इस संबंध में रुक नहीं सकता । प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंपने का है । जनता की राय जानने का प्रस्ताव यह कहता है कि वह राय ३१ जुलाई तक आ जाए । मैं नहीं जानता कि प्रवर-समिति के सभापति बैठक की कौन सी तिथि निश्चित करेंगे । यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया तो संयुक्त प्रवर-समिति की बैठक की तिथि क्या होगी । २१ या २२ मई को यह सत्र समाप्त हो रहा है । सदन तीन महीने से अधिक समय से काम कर रहा है । माननीय सदस्यगण ५-६ सप्ताह का अवकाश चाहेंगे । वे यहां वापस न आ सकेंगे अतः जहां तक मैं समझता हूं, १५ जुलाई से पहले प्रवर समिति समवेत न हो सकेगी । आज ८ मई है । मैं देश में इस विषय में रुचि लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पुनः अनुरोध करता हूं कि चार दिन के इस व्यापक चर्चा के प्रकाश में अपने विचार संसद् सचिवालय, गृह मंत्रालय या आप के नाम से भेज दें, और वे सब प्रवर-समिति के सम्मुख रख दिये जायेंगे । हमें इस समस्या की तत्काल-आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिये । हम इसे तीन वर्ष या छः वर्ष के लिये टालना नहीं चाहते । अतः मेरा कहना है कि इस विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव एक प्रकार का विलम्बकारी काम होगा, जो हम नहीं चाहते । मैं इस विधेयक को ले कर आगे बढ़ना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि यह आगे बढ़े और इस पर चर्चा हो ।

[डा० काटजू]

मेरे गोरखपुर के माननीय मित्र श्री सिंहासन सिंह ने कहा कि वह पूरे विधेयक पर विचार करना चाहते हैं । मैं स्वागत करता हूं । चूंकि हम संक्षिप्त प्रक्रिया, वारेंट प्रक्रिया और सत्र प्रक्रिया सभी को ले रहे हैं, हम ने कुछ सुझाया है और जहां तक मैं समझता हूं कि बिलकुल नियमानुकूल होगा, और मैं इस का पूर्ण समर्थन करने को तैयार हूं कि प्रवर समिति में पूरी संक्षिप्त प्रक्रिया, वारंट प्रक्रिया और सत्र-प्रक्रिया को समिति द्वारा अभीष्ट रूप में पुनः सुधारा जाए । सब कुछ परस्पर सम्बद्ध है । यह दलगत नीति से पृथक् विषय है । मैं किसी प्राविधिक नियम का लाभ उठा कर यह नहीं कह देना चाहता कि यह एक संशोधन विधेयक है अतः हमें इतनी ही बात लेनी चाहिये और आगे नहीं जाना चाहिये । आप चाहें, तो पूरी संहिता को ले सकते हैं । मैं आप की सहायता करूंगा । मेरे बुलन्दशहर के मित्र ने कहा था कि वह विधेयक से घृणा करते हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता को फाड़ चीर कर फेंक देना चाहते हैं । मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव भारत के सभी विधिजीवी संघों को मिथ्या साक्ष्य का अड्डा बताते हैं । यह बड़ा स्पष्ट तथा समर्थ वर्णन है । यह बहुत आकर्षक भी है । मैं ने कार्यपालिका के आदेश से जुए के अड्डों को बन्द किया जाना सुना है। मैं नहीं जानता कि कौन अधिक बुरा है जुए का अड्डा या मिथ्यासाक्ष्य का अड्डा । हमें दोनों बन्द कर देने चाहियें । हम वकीलों से छुटकारा पा लें, दंड संहिता से छुटकारा पा लें । पुलिस से छुटकारा पा लें, क्योंकि यह अकार्यक्षम और भ्रष्ट हैं । मेरे माननीय मित्र श्री फ्रेंक एन्थनी ने बताया कि न्यायिक पदाधिकारी कार्यपालिका के दास हैं । श्रीमान्, आप उस समय यहां पर न थे, ऐसा कोई मुहावरा नहीं रहा, जिस का उन्हों ने प्रयोग न किया हो । उन्हों ने कहा वे उन की अंगुलियों पर नाचते हैं, उन की मुट्ठी में रहते हैं । वे पुलिस की एड़ी के नीचे रहते हैं । हम विधिजीवियों, दंड प्रक्रिया संहिता और न्यायपालिका से मुक्ति प्राप्त कर लें, तो यह देश स्वर्ग बन जाएगा । पंडित ठाकुर दास भार्गव वस्तुतः यही कहना चाहते हैं । इस से मुझे गुस्सा आता है । मैं पूर्ण संहिता पर विचार करने को तैयार हूं । मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता को दासता के दिनों का एक स्मारक मानते हैं । हम अपनी मुक्ति के पांचवें वर्ष में प्रवर-समिति में दंड प्रक्रिया संहिता १९५४ की रचना करें । मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : क्या माननीय मंत्री श्री सिंहासन सिंह का संशोधन स्वीकार करेंगे ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : वह पहिले ही यह बता चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य सभापति को संबोधित कर के कहें । क्या वे श्री सिंहासन सिंह का संशोधन स्वीकार करेंगे ?

डा० काटजू : इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हमें सारे मामले की जांच करनी चाहिये क्योंकि यह सब अन्तरसम्बद्ध है ।

अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि चर्चा में पूरे जोरशोर से, विधेयक की चार या पांच धाराओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । बहुत से सदस्यों ने, मैं यह नहीं जानता कि वे किस निर्वाचन-क्षेत्र के हैं, १६१, १६२, २०७ धाराओं, मिथ्या साक्ष्यधारा तथा मान-हानि धारा, पर विशेष रूप से विचार किया । इस विधेयक में सैकड़ों बातों के लिये अनेकों उपबन्ध किये गये हैं । यहां १०० संशोधन

हैं। किसी ने भी उन के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। केवल इन्हीं पांच बातों का निर्देश किया गया।

अध्यक्ष महोदय मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है कि प्रवर समिति सम्पूर्ण संहिता का अध्ययन करे, क्योंकि यह सारा मामला अन्तरसम्बद्ध है। यदि आप वारंट प्रक्रिया पर विचार करें, तो आप को सम्पूर्ण बात पर विचार करना होगा ; इसी प्रकार सत्र प्रक्रिया पर भी।

मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि वह सदन की प्रवर समिति चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। जिस प्रवर समिति का हम ने प्रस्ताव रखा है उस में लोक सभा के ३३ सदस्य हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं ने यह कभी नहीं कहा था कि मैं प्रवर समिति में नहीं हूं। मैं ने इस की कभी शिकायत नहीं की। यह सर्वथा गलत है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि संयुक्त समिति न हो कर सदन की प्रवर समिति होनी चाहिये। इस पर विचार करिये। क्या मैं इसे विलम्बकारी युक्ति नहीं कह सकता हूं ? हम ने संयुक्त प्रवर समिति की इस प्रक्रिया का विकास किया है, ताकि दोनों सदन मिल कर इस मामले पर चर्चा कर सकें, आपस में अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें, विचार विमर्श कर सकें, प्रवर समिति में एक दूसरे को प्रभावित कर सकें तथा कुछ ऐसा निश्चय कर सकें जो दोनों सदनों का विचारयुक्त मत हो। मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, यहां तक कि भारत के संविधान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे। ३३ सदस्यों की एक प्रवर समिति घरेलू वातावरण उत्पन्न कर सकेगी। ज्यों ही आप इस में १६ सदस्य और बढ़ाते हैं, यह बहुत ही स्थूल हो जाती है। फिर, क्या होता है ? ३३ सदस्य मिलते हैं तथा साधारण समय लेते हैं। विधेयक इस सदन के समक्ष आता है। क्योंकि यह एक अत्यधिक महत्व-पूर्ण मामला है, लोक सभा १० या १२ दिन लेगी और फिर यह राज्य परिषद् को जायेगा। वहां, फिर, यदि मैं पूर्वानुमान कर सकूं तो, उन्हें भी यह विधेयक अपनी प्रवर समिति के पास भेजना पड़ेगा। यदि ऐसा करने का कोई कारण भी न होगा तो केवल यह कहने के लिये कि हम लोक सभा के बराबर हैं। फिर, यह तीन मास के लिये जाता है। केवल हमारे प्रति विरोध भाव प्रकट करने के कारण, जनमत जानने के लिये वे एक प्रस्ताव रख सकते हैं। क्या मेरे माननीय मित्र ने इन बातों पर विचार किया है ? यह एक अवि-लंबनीय विषय है।

डा० लंका सुन्दरम् : आप ५६ वर्ष तक प्रतीक्षा कर चके हैं।

डा० काटजू : एक बात का स्मरण रखिये। आप कहते हैं कि लोगों को न्यायालयों में विश्वास नहीं है। मैं प्रति दिन यह देखता हूं कि लोग विधि को अपने हाथ में लेने लगे हैं।

एक माननीय सदस्य : कहां ?

डा० काटजू : यदि कोई हत्या होती तथा अभियुक्त मुक्त हो जाता है, तो सारा गांव जान जाता है कि हत्या किस ने की है। जैसा कि मैं ने एक दिन सदन में कहा था कि कभी कभी उसे न्यायालय के अहाते में गोली मार दी जाती है। कभी कभी, जब अभियुक्त अपने गांव वापस जाता है तांगे से उतरते ही उसे गोली मार दी जाती है। लोग उसे जीने नहीं देना चाहते। आप को लोगों में विश्वास अवश्य उत्पन्न करना

[डा० काटजू]

चाहिये। मैं भी एक वकील हूं। इन फौजदारी के मामलों में, आप स्वयं हम से अधिक जानते हैं। समस्त वकील समाज, बेचारे दुखी सरकारी अभियोक्ता को छोड़ कर, अभियुक्त के पक्ष में होता है। उत्तर प्रदेश में मेरा विचार है कि यदि अधिक नहीं तो १०,००० वकील तथा ऐडवोकेट हैं। उन में, मेरा विचार है कि सरकारी वकील, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, सौ हैं। बावन ज़िले और सौ वकील, कदाचित एक ज़िले के लिये दो वकील हैं। अतः अनुपात यह है अपराधी को छुड़ाने के लिये विविध बुद्धि क्षमता तथा व्यावहारिक योग्यता के ९९,००० एडवोकेट, और अपना भरसक प्रयत्न करने के लिये बेचारे १०० सरकारी वकील। इसी का यहां प्रतिबिम्ब है। जब श्री एन्थनी बोल रहे थे, उस समय अध्यक्ष महोदय, आप यहां न थे। मैं आप को बताता हूं कि वह प्रत्येक बात का विरोध कर रहे थे। वह समर्पण प्रक्रिया हटाने का विरोध कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने इस का समर्थन किया था। उन्हों ने कहा "नहीं"। आज स्थिति यह है। यदि अहमदाबाद या कानपुर का या इलाहाबाद नगर में—कहीं भी हो इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता—सत्र न्यायाधीश या दण्डाधीश प्रत्येक अभियुक्त को छोड़ देता है, तो मैं आप को बताता हूं कि वकील-समाज इस अवसर को मनाने के लिये एक बड़ी चाय पार्टी की व्यवस्था करेगा। यह उन का आदर्श है। जैसा कि श्री दातार ने कहा था कि क्या वे जनहित की बात पर विचार करते हैं और यह देखते हैं कि अपराधी को दण्ड मिलता है। क्या वे उन लोगों के बारे में, जिन की पत्नियां, मातायें, बहिनें तथा पिता मर जाते हैं, जिन के परिवार को चलाने वाले व्यक्ति मार दिया जाता है, और जिनके घर लूट लिये जाते हैं? सारे गवाहों को बार बार आना पड़ता है। वे जिरह के तीन अधिकारों, जिरह के चार अधिकारों का विचार कर रहे हैं। यह एक तमाशा हो रहा है।

अतः इस प्रारम्भिक निरूपण के साथ मैं सम्मानपूर्वक आप को सुझाव देता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजना स्वीकार करे। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि यह केवल इस सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये। यह बहुत बुरा उदाहरण रखना होगा, बहुत बुरा पूर्व-दृष्टान्त होगा। संयुक्त प्रवर समिति की इस युक्ति में, जो निश्चित हो गई है, बड़ा गुण, बड़ा औचित्य है। मेरा निवेदन है कि यह एक बड़ी ही लाभदायक युक्ति है। इस का कोई कारण नहीं है कि यह इस मामले से क्यों अलग रखी जाये।

जहां तक विधि आयोग या इस प्रकार की किसी अन्य समिति की नियुक्ति का सम्बन्ध है, मैं आप को सम्मानपूर्वक सुझाव देता हूं कि आप के पास इस विधेयक पर या किसी विधेयक पर गुण के आधार पर विचार करने के लिये पर्याप्त सामग्री है। प्रवर समिति यह कार्य करेगी, और जैसा कि प्रवर समिति के सदस्यों के समक्ष मैं ने वचन दिया था, मैं सम्पूर्ण मामले को मुद्रित करा दूंगा। मेरा विचार है कि यह एक काफी बड़ी पुस्तक होगी। पुस्तक संसद् के प्रत्येक सदस्य को, संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों को, परिचालित की जायेगी, ताकि वे उसे पढ़ सकें और समझ सकें। उन्हें प्रकट किये गये विभिन्न मतों का बोध होगा। वे कोई भी मत ग्रहण कर सकते हैं।

जहां तक मेरे माननीय मित्र, श्री सिंहासन सिंह, का सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि प्रवर समिति के सदस्य, खुले सदन के सदस्य इच्छानुसार संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं;

वे मुझ से भेंट कर सकते हैं और यदि वे कोई सुझाव देते हैं तो हम उन के अत्यधिक सहायक होंगे। मैं कह चुका हूं कि वह विधेयक, जो मैं ने अध्यक्ष की अनुमति से प्रकाशित किया था, ऐसा विधेयक था जिस में संशोधनों पर विचार किया गया था। जब मत प्राप्त हुए, वे २०७ मत, तो उन में सुझाव दिया गया था कि विधेयक में कुछ और बातें सम्मिलित की जानी चाहियें। बहुत से सुझाव दिये गये थे। हम ने कुछ स्वीकार किये। अन्य संशोधनों को हम ने स्वीकार नहीं किया। यदि माननीय सदस्य संहिता के किसी अन्य भाग के संशोधन के सुझाव देते हैं, तो उन का स्वागत होगा। मैं भी इस प्रस्ताव को, यदि प्रवर समिति में रखा गया तो, स्वागत करूंगा कि विधेयक का शीर्षक बदल दिया जाये। हम इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता या जो भी आप चाहें, कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र, श्री रामास्वामी, का एक और संशोधन है, यह उन्हों ने प्रस्तुत नहीं किया। इस का सम्बन्ध उन के उस विधेयक से है, जो श्री वेंकटारामन ने प्रस्तुत किया था। श्री रामास्वामी ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जिस में उन्हों ने असेसरों की प्रणाली तथा जूरी द्वारा होने वाली जांच की प्रणाली की समाप्ति का समर्थन किया है। जहां तक असेसर प्रणाली का सम्बन्ध है, वर्तमान विधेयक उन के प्रस्ताव को कार्यान्वित करता है। अतः मामला समाप्त हो जाता है। जहां तक जूरी द्वारा होने वाली जांच का सम्बन्ध है, हमारे विधेयक में कहा गया है,—प्रणाली को ज्यों का त्यों रहने दीजिये, जिस का अर्थ है कि यह पूर्णतया प्रत्येक राज्य सरकार की इच्छा पर है कि वह जूरी द्वारा जांच का क्षेत्र विस्तार बढ़ाये या कम करें या इसे रद्द कर दे।

श्री वेंकटारामन ने प्रस्ताव दिया है कि प्रवर समिति, जो इस मुख्य विधेयक पर विचार करेगी, श्री रामास्वामी के विधेयक पर भी विचार करे। मैं इस का हृदय से समर्थन करता हूं, ताकि सम्पूर्ण मामला प्रवर समिति के समक्ष हो।

श्री एस० एस० मोरे : कुछ और विधेयक भी हैं, जिन पर विचार विमर्श वर्तमान विधेयक के कारण स्थगित कर दिया गया था।

डा० काटजू : श्री सोधिया का विधेयक असेसर-प्रणाली की समाप्ति से सम्बद्ध था, और किसी से नहीं। उन्हों ने जूरी प्रणाली का तनिक भी उल्लेख नहीं किया था। अतः, उन के उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। श्री रामास्वामी ने सब का वर्णन किया है, जूरी तथा असेसरों का। जहां तक असेसरों का सम्बन्ध है, हम उन से सहमत हैं। जहां तक जूरी का सम्बन्ध है, तथ्यों के आधार पर उस की जांच की जा सकती है।

डा० लंका सुन्दरम् : श्री काज़मी के विधेयक का क्या हुआ ?

डा० काटजू : इन प्रारम्भिक प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं ने अब तक निरूपण किया है। इस के अतिरिक्त कुछ बातों पर ज़ोर दिया गया है जिन्हें मैं मुख्य प्रश्न कह सकता हूं। एक प्रकार से मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं सदन का कोई समय लूं क्योंकि यदि सदन इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपना स्वीकार करता है, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक धारा की अत्यधिक सावधानी से जांच करनी होगी तथा अध्ययन करना होगा। परन्तु जहां तक कि उन चार या पांच या छः धाराओं के सम्बन्ध में इतनी आलोचना की गई है, मैं समझता हूं कि सभा के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस के बारे में हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करूं

[डा० काटजू]

मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि यह काम करने का यह उचित ढंग नहीं है । उन्हों ने कहा था : "आप अधिक दूर नहीं जा रहे हैं । सुधार करने का उचित ढंग है : (१) पुलिस में कठोर सुधार; (२) न्यायाधिकारी वर्ग में सुधार; (३) वकील समाज के सदस्यों में सुधार । जब तक आप को इस की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आप कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं ।" मैं नहीं जानता कि इस का ठीक अर्थ क्या है ? क्या इस का अर्थ यह है कि आप चाहें तो कोई भी प्रक्रिया न रखें, या यह कि आप चाहे जो प्रक्रिया रख सकते हैं ? ये तीन स्रोत हैं और जब तक ये स्रोत स्वच्छ नहीं होते, तथा जल जो उन से निकलता है .....

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : और एक महत्वपूर्ण बात रह गई । न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ।

डा० काटजू : हां, इसे मिला कर चार बातें कही गई थीं । मेरे एक मित्र ने फरमाया कि ये संशोधन क्रान्तिकारी, मौलिक तथा तीव्र होने चाहियें । मैं निषेधात्मक आलोचनाएं बहुत सुन चुका हूं और मुझे उन से नफरत है । किन्तु यहां जो भाषण हुए हैं उन की छटनी की जाय तो शायद ही कुछ दो या तीन रचनात्मक सुझाव मिलेंगे । हम तीव्र, क्रांतिकारी तथा मौलिक परिवर्तन चाहते हैं । लेकिन उन के बारे में ठोस सुझाव कोई नहीं देता । मेरे एक मित्र ने कहा कि 'दण्ड प्रक्रिया संहिता के टुकड़े टुकड़े कर दो' । किन्तु इस के स्थान पर क्या रखें ? उन्होंने इस का उत्तर नहीं दिया ।

श्री चटर्जी ने पुलिस की अक्षमता का वर्णन करते हुए दिल्ली में तिलपत वायु प्रदर्शन के समय की भीड़ का दृष्टान्त दिया । मैं समझ नहीं पाता कि इस की प्रस्तुत विधेयक से क्या संगति है । मेरे एक वकील मित्र ने वकील संस्थाओं को "मिथ्या साक्ष्य के अड्डे" बताया । ये उन्हीं के शब्द हैं । और शायद वे स्वयं ही अपने जिले की वकील संथा के अध्यक्ष हैं । इन सारी बातों से दण्ड प्रक्रिया संहिता का क्या सम्बन्ध है ? दण्ड प्रक्रिया संहिता में तो केवल इन्हीं बातों के उपबन्ध होते हैं कि मुकदमा किस प्रकार आरम्भ किया जाय, अभियुक्त को किस प्रकार बुलाया जाय, गवाहों का परीक्षण कैसे हो, अभियुक्त ज़ामिन पर छोड़ा जाय या नहीं, इत्यादि । यदि भारत का सारा वकीलवर्ग इतना भ्रष्ट हो जितना कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है, तो फिर इसे समाप्त ही कर देना उचित होगा । अविश्वसनीय व्यक्तियों को हटा देना ही उचित है ? किन्तु हमारा वकीलवर्ग इस देश-रूपी उद्यान का फूल है । वे न्याय का निरूपण करते हैं । क्या मैं उन्हें नीति के पाठ सिखलाऊं ? नीति तो सन्माननीय विधि व्यवसाय की नींव है । यदि किसी वकील की बेईमानी साबित हो जाती है तो वकील संथा को कार्यवाही करनी चाहिये और उसे बहिष्कृत कर देना चाहिये । यदि कोई वकील पंचों को या पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल होता हो तो उस पर रोक लगा दी जानी चाहिये । किन्तु इन बातों का दण्ड प्रक्रिया संहिता से क्या सम्बन्ध है ?

न्यायपालिका के बारे में यह आरोप लगाया गया था कि वह पुलिस के हाथ की कठपुतली है और उसे कार्यपालिका से पृथक रखना चाहिये । अब, मैं इस के बारे में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं कहना चाहता । मैं ठोस बातों पर विचार करता हूं । मैं आप को अपने दिल की बात कहना चाहता हूं कि अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रति मुझे अधिकाधिक अभिमान अनुभव होता है । मेरे माननीय मित्रों को तो पुरानी बातें याद आती

हैं। वे यहां के प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर नहीं देखते। वहां भारतीय प्रशासनीय सेवा के लिये चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें वहां एक नए तथा स्वतंत्र वातावरण में रखा जाता है। वे हमारे विश्व-विद्यालयों में से सर्वोच्च कोटि के नवयुवक हैं। हमारी आशाएं उन पर खिली हुई हैं। आप भारत के किसी राज्य में जा कर जांच कीजिये, आप को इन अधीनस्थ न्यायाधीशों की प्रशंसा ही सुननी होगी। मुझे भय है कि माननीय सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि इस प्रकार की सार्वजनिक आलोचना से कितनी हानि होती है। यदि आप को कोई विशिष्ट मामला मालूम हो, तो उसे सामने लाइये; हम उसे ठीक करने की भरसक कोशिश करेंगे। किन्तु यदि आप भारतीय प्रशासनीय सेवा की सार्वत्रिक आलोचना करते हैं तो उस का परिणाम क्या होगा ? वे लोग निराश, निरुत्साहित तथा निर्लज्ज बन जायेंगे। क्योंकि कि वे कहेंगे कि 'यहां तो भले बुरे के बीच कोई भेद नहीं किया जाता, सब को एक साथ ही रगड़ा जाता है; तो फिर मैं अपने ही रास्ते से क्यों न चलं ?'

वहां पर बैठे हुए मेरे माननीय मित्र कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिये कह रहे हैं। जहां तक ज़िला तथा सत्र न्यायाधीशों का सम्बन्ध है, किसी ने भी यह कभी नहीं सुझाया कि सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश किसी भी प्रकार से कार्यपालिका के अन्तर्गत काम करते हैं; केवल मजिस्ट्रेट पुलिस के अन्तर्गत रहता है। देखा जाये तो मजिस्ट्रेट तुलनात्मक रूप से बहुत कम महत्व के मामलों को निबटाता है। समस्त महत्वपूर्ण मामले सत्र न्यायाधीश के सामने जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं—मेरे माननीय मित्रों को इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना चाहिये —कि अपील करने पर कितने मजिस्ट्रेटों के निर्णय सत्र न्यायाधीशों द्वारा बदल दिये गये हैं। क्या कोई इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि निर्णय लापरवाही से दिये गये हैं या किसी प्रकार उन से इस बात का आभास मिलता है कि उन में कार्यपालिका का पक्ष लिया गया है ? हम केवल शब्दों से ही उन की निन्दा नहीं कर सकते हैं; जो हम कहते हैं उस की पुष्टि करने के लिये हमारे पास सामग्री होनी चाहिये। बीस या तीस वर्ष पहले क्या होता था इस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आज की बात कर रहा हूं, और मैं कहता हूं कि हमारे पास—मैं यही नहीं कहता कि हमारे मजिस्ट्रेट अद्वितीय है—जो मजिस्ट्रेट हैं वे इस बात की ओर जागरूक हैं कि उन का स्वतंत्र भारत में क्या कर्तव्य है।

बहुत से राज्यों में आजकल दो प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। मैं बम्बई की स्थिति से परिचित नहीं हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में—हम ने इस कार्य के लिये एक शब्द बना लिया है—न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और दूसरे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। जहां तक न्यायिक मजिस्ट्रेट का सम्बन्ध है वह न्यायिक कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करता। उस का पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह कार्यालय में प्रति दिन छः घंटे बैठ कर केवल न्यायिक कार्य करता है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट कल्याण कार्य, सामूहिक परियोजना कार्य, निरीक्षण कार्य करता है और सम्भव है इन सुरक्षा खण्डों में से भी किसी पर विचार करता हो।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : बात तो यह है कि उन्हें ज़िला न्यायाधीशों की बजाय ज़िला मजिस्ट्रेटों के अधीन रख दिया जाता है।

डा० काटजू : हो सकता है नियुक्ति तथा अन्य बातों के लिये वे ज़िला मजिस्ट्रेटों

[डा० काटजू]

के अधीन हों । लेकिन सवाल इस बात का है कि वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं । जहां तक अपील का सम्बन्ध है अब वह सत्र न्यायाधीश के सामने जाया करेगी । मैं यह नहीं कहता कि मैं कुछ भी करने के लिये तैयार नहीं हूं । संविधान में ऐसा उपबन्ध है । हमें उसे पूरा करना चाहिये । जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों को समय मिले तो आबू जायें जहां पर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है । आप देखेंगे कि वहां पर हमारे विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हर प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । हमें विरासत में बुरी चीज़ मिली है ।

अब मैं धाराओं पर आता हूं । सब से पहले धारा १६१ को लिया गया था । जैसा कि आप को मालूम होगा इस का सम्बन्ध तहकीकात के दौरान में गवाह द्वारा दिये गये बयान से है । उस पर हस्ताक्षर नहीं होते । निरीक्षक इस प्रकार लिखता है--प्रश्न पूछने पर गवाह ने यह बयान दिया । बार बार यह कहा गया था कि वर्तमान संहिता के अन्तर्गत यह बयान केवल तब ही ग्राह्य हो सकता है जब गवाह की बातों का खंडन करना हो । मैं इसे स्वीकार करता हूं । लेकिन मैं पूछता हूं कि इस संशोधक विधेयक द्वारा उस में क्या परिवर्तन हो गया है ? तहकीकात के दूसरे दिन गवाह बयान देता है । उसे अभिलिखित कर लिया जाता है । उसे न्यायालय में पेश किया जाता है । उस बयान की एक प्रति अभियुक्त को दी जाती है । जब गवाह सरकारी वकील या सरकारी अभियोक्ता के सामने आता है, तो उस के दिये गये बयान के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता । वह केवल अपनी कहानी सुनाता है और हो सकता है उस से यह भी पूछ लिया जाये—'क्या पुलिस ने तुम से पूछताछ की थी ?' वह कहता है : 'हां । वह कहता है, "हत्या के पश्चात् दूसरे दिन या डकैती के पश्चात् दूसरे दिन ।" एक अनुभवी वकील होने के नाते मैं आप से पूछता हूं कि मान लीजिये जिरह के समय आप अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे हैं और आप गवाह का ध्यान उस मतभेद की ओर आकर्षित नहीं करते जो न्यायालय में दिये गये वर्तमान बयान और तहकीकात के समय पुलिस को दिये गये बयान के बीच उत्पन्न होता है तो इस का क्या अर्थ निकाला जाये ? प्रत्येक मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश यही समझेगा कि गवाह अपनी कहानी पर अड़ा हुआ है । जो कुछ उस ने पुलिस के सामने कहा था उसी को वह न्यायालय में दोहरा रहा है । ऐसा क्यों ? क्योंकि यदि उस ने अपना बयान बदल दिया होता तो जिरह करने वाले वकील ने तुरन्त उसका ध्यान उस ओर आकर्षित किया होता और कहता : 'तुम्हारी पुलिस ने परीक्षा की थी । मैं पूछता हूं कि तुम ने बयान का यह भाग कभी भी पुलिस को नहीं दिया' । और यदि वह इस से इन्कार करता है तो आप उपनिरीक्षक को बुला लेते हैं और उस से पूछते हैं, 'क्या यह ठीक है ?' वह कहता है : 'यह ठीक है ।' मैं आप के सामने यह बात स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूं कि मेरी तनिक भी यह इच्छा नहीं है कि वह बयान प्रतिपोषण के लिये प्रयोग में लाया जाये । इस से प्रतिपोषण का कार्य नहीं चलता । यह एक ऐसी बात है जिस में कोई सार नहीं है । यह उत्पन्न नहीं होता, ऐसा मुझे कभी सूझा ही नहीं, विधि मंत्री को भी कभी यह नहीं सूझा और न किसी और को भी कि उस का इस तरह से भी प्रयोग किया जा सकता है ।

दूसरी बात धारा १६४ के सम्बन्ध में है। बहस के १३ या १४ घंटों में से लगभग ५ घंटे इसी धारा पर लगे हैं। बड़े बड़े भाषण दिये गये हैं। धारा १६४ क्यों ? बयान दिया जाता है और पुलिस यह इसलिये लेती है कि वह गवाह को एक विशेष बयान से बांध रखे। मेरे विचार में मैं दलीलों का विश्लेषण ध्यानपूर्वक तथा ठीक से कर रहा हूं। उस समय गवाह पूरी तरह से पुलिस के काबू में होता है। अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं होता। कुछ लोगों ने यह कहा था कि मजिस्ट्रेट होता है, गवाह होता है और उस के पीछे उप-निरीक्षक खड़ा होता है और इस प्रकार बयान अभिलिखित किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों ? क्योंकि इस ईमानदार व्यक्ति को उसी के बयान से बांध रखा जाये। लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप किसी ने नहीं रखा। मैं गम्भीरतापूर्वक आप से पूछता हूं कि जब ये ९९०० वकील सफाई पक्ष की ओर से पैरवी करने के लिये तैयार हैं तो क्या अभियोजन गवाहों को तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती ? कृपया यह याद रखिये कि घटना के बाद समपुर्ण कार्यवाही ही में महीनों लग जाते हैं। हो सकता है छः महीने तक ; हो सकता है सत्र मामला एक वर्ष पश्चात् आरम्भ हो और छः महीने तक चलता रहे। इन समस्त गवाहों पर पुलिस का दबाव नहीं होता बल्कि उन पर हर तरह का अन्य दबाव डाला जाता है जैसे, जाति, समुदाय, राजनीतिक, रिश्तेदारी, पड़ोसियों, आदि, सभी प्रकार का। इन समस्त विद्वान वकीलों और मेरे माननीय मित्रों ने इस के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। और वे इसे जानते भी हैं।

९ म० पू०

वे जो कहते हैं वह यह है : यह है बेचारा, गरीब, ईमानदार गवाह, पुलिस ने तहकीकात के समय इसे झूठा बयान देने पर विवश किया और पुलिस उसे अभिलिखित तथा हस्ताक्षरित करा लेना चाहती थी जिस से वह अपने बयान से मुंह न मोड़ सके और जब यह बेचारा ईमानदार गवाह सत्र न्यायालय के सामने जाये तो वह सच कहने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले ही झूठा बयान दे चुका है। मैं कहता हूं इन बातों का सच्चाई से कोई सम्बन्ध नहीं है, आप को भी इस पेशे का अनुभव है और मुझे भी। हो सकता है यह कहना तीस वर्ष पहले शायद कुछ सीमा तक ठीक होता लेकिन आज स्वतंत्र देश में गवाह भी स्वतंत्र हो गये हैं। वकीलों के संघ में या और कहीं पहले यही कोशिश की जाती है कि अभियोजन गवाह को तोड़ लिया जाये।

इस संशोधक विधेयक में हम ने जब यह उपबन्ध निविष्ट किया तो हम ने यही सोचा कि हम अभियुक्त के हित में न्याय कर रहे हैं। लेकिन मैं अनेक बार कह चुका हूं कि मैं इस पर अड़ा नहीं हूं। यदि आप इस को नहीं चाहते तो बदल दीजिये। आप और मैं सभी इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि न्याय का उचित प्रबन्ध हो। मैंने यह कहा था कि गवाह मजिस्ट्रेट के सामने जाये और उस समय बयान दे जब पुलिस न हो। आप कह सकते हैं : 'आप अपने वर्तमान विधेयक के अनुसार एक तीसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट को बयान अभिलिखित करने के लिये कह सकते हैं ; हो सकता है यह बहुत उचित न हो।' इसे प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर दीजिये। आप कह सकते हैं कि पुलिस को वहां नहीं होना चाहिये। सब कुछ करिये, लेकिन उद्देश्य यह था कि अभियुक्त को या उस के पक्ष में लड़ने वालों को यह अवसर न मिले कि वे साक्ष्य में ही हस्तक्षेप कर दें। कृपया यह याद रखिये कि दीवानी मामलों में कानून और तथ्य के कठिन प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं तथा मामला कभी कभी

[डा० काटजू]

दस, बीस या तीस वर्ष तक की पुरानी बातों से सम्बन्धित होता है । लेकिन फौजदारी मामले में, यह सब कुछ बहुत सीमित होता है—पांच मिनट, या बीस मिनट । कोई आदमी आता है, गोली चलाता है और भाग जाता है—बीस मिनट में । यह मामला बिल्कुल सीधा होता है । अभियुक्त जानता है । किसी ने कहा था कि उस की सफाई का तरीका बताइये । मैं आप को बतलाता हूं कि जब मैं वकालत करता था और यदि कोई मेरे पास आ कर यह कहता—शायद बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति मेरे पास आये—'मैं ने ऐसा किया और अब मुझे बचने के लिये क्या करना चाहिये'—जब आदमी ऐसा कहता तो मैं यह अनुभव करने लगता कि वह दोषी है; मैं यह कहा करता था, 'बाहर चले जाओ, तुम ने यह किया है और बचाव का तरीका जानना चाहते हो । तुम जाओ और अपना अपराध स्वीकार करो और उस की सज़ा भुगतो ।' लेकिन अब क्या किया जाये ? फौजदारी के मामलों में मेरे माननीय मित्र बचाव का कौन सा तरीका बताना चाहते हैं ? झूठी गवाही देने के मामलों में यही दलील हो जाती है कि वह उस समय वहां नहीं था । फौजदारी के मामलों में कोई भी ऐसी दलील पर ध्यान नहीं देता—यह बिल्कुल ही झूठी होती है—अस्पताल के रजिस्टर, स्कूल के रजिस्टर में प्रविष्टि या न्यायालय में उपस्थिति । मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि मैं इस बात पर नहीं अड़ा हुआ हूं कि इस संशोधक विधेयक में धारा १६४ के बारे में यह उपबन्ध निविष्ट ही किया जाये । यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसे हटाया जा सकता है ; इस की मुझे कोई चिन्ता नहीं है । परन्तु इस का उद्देश्य न्याय को बढ़ाना था यद्यपि साक्ष्य में कोई गड़बड़ न हो ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : उन्हें पुलिस की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

डा० काटजू : माननीय सदस्यों को सारी बात पर ध्यान देना चाहिये । एक ओर तो पुलिस की ज्यादतियां और अनुचित व्यवहार है । दूसरी ओर बचाव पक्ष का अनुचित व्यवहार और बचाव वाले इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 'हम इसे ऐसा ही रहने देंगे ।' अच्छा, तो इसे कर दो । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वकील भी ।

डा० काटजू : हां, वकील भी । हरेक से सलाह लीजिये । तीसरी चीज पत्रों का सम्भरण थी श्री रामस्वामी ने कहा था—मैं उन की यह बात समझ नहीं सका—कि कागज-पत्र नहीं दिये गये हैं । हम उन्हें सब पहुंचा देंगे । वे मुझे एक सूची दे दें और मैं उन्हें सब कुछ पहुंचवा दूंगा । इस के बाद उन्होंने कहा था कि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने जाता है । मुझे यह शिकायत है कि माननीय सदस्यों ने धारा का केवल कुछ भाग पढ़ा है । उन्होंने कहा, 'मजिस्ट्रेट के सामने जाता है ।' धारा में यह लिखा है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त से जिरह कर सकता है । वह इस का कारण पूछते हैं, और कहते हैं, 'उस से जिरह मत कीजिये, अपितु केवल उस की ओर देखिये ।' तब तक यह समझा जाता है कि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने नहीं गया है । वह एक विशेष प्रयोजन के लिये इस धारा के अन्तर्गत उपस्थित होता है । मजिस्ट्रेट कागज-पत्रों आरोप-पत्र तथा सभी साक्षियों के बयानों को पढ़ता है और जब वह अभियुक्त से जिरह करता है, तो कहता है, "अब तुम्हारे पर इस हत्या या डाके का आरोप लगाया

जा रहा है । तुम्हारा क्या उत्तर है ? क्या तुम दोषी हो या नहीं हो ? क्या तुम ने यह किया है ?" अभियुक्त 'नहीं' कहता है । तब यह समाप्त हो जाता है । परन्तु मान लीजिय कि वह यह कहे कि उस ने यह किया है, तो मजिस्ट्रेट यह कह सकता है कि इसे सत्र न्यायाधीश के पास भेज दो । यह सत्र न्यायाधीश के सामने जायेगा । यह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा । दूसरी चीज यह है : इस बात का निश्चय करने के लिये कि यह मामला सत्र न्यायाधीश के सामने जाना चाहिये या नहीं मजिस्ट्रेट उस से पूछता है, 'क्या यह पर्याप्त गम्भीर है, अथवा यह किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिये ?' केवल इस सीमित से प्रयोजन के लिये यह चीज़ की जाती है । इस में क्या बुराई है ? मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि इस में कुछ भी बुराई नहीं है । इस का अभिप्राय यह था कि अभियुक्त को न्यायालय के कमरे में प्रविष्ट होने से पूर्व ही यह पता लग जाये कि उस के विरुद्ध क्या आरोप लगाया गया है, उस के विरुद्ध कौन कौन से साक्षी प्रस्तुत किये जायेंगे और उन साक्षियों के उस के विरुद्ध क्या क्या कहने की सम्भावना है और अभियोक्ता पक्ष का क्या कहना है, ये सब चीजें उसे आरोप-पत्र से और पुलिस की डायरी में अभिलिखित बयानों से पता चल जाती हैं । उसे ये बातें धारा १६४ के अन्तर्गत अभिलिखित बयानों से और भी अधिक ठीक तथा स्पष्ट ढंग से पता चल जाती हैं । हमारे मन में यही चित्र था । यदि सदन की राय में इस चित्र में कुछ रूपभेद करने की आवश्यकता है, तो आप इसे पुनः खींच सकते हैं । इस में थोड़ा लाल रंग और भर दीजिये थोड़ा और हरा रंग भर दीजिये, किन्तु यह चित्र बिल्कुल ठीक है ।

इस के बाद मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि वे वस्तुतः ज्यादतियां करते हैं । वारंट केसों और दोहरी जिरह की बात की गई है । वारंट केस में प्रक्रिया वैसी ही हो सकती है । कृपया इस बात को स्मरण रखें कि अभियुक्त को न्यायालय से डायरी में अभिलिखित सारे बयान दे दिये गये हैं । सत्र न्यायालय के समान ही अभियोग आरम्भ होने से पूर्व अभियुक्त यह जानता है कि उस के विरुद्ध क्या और किस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा । मैं यह पूछता हूं कि यदि उस समय अभियुक्त से तत्काल जिरह आरम्भ करने के लिये कहा जाये, जैसा कि उसे सत्र न्यायालय में कहा जायेगा, तो इस में क्या आपत्ति है । मेरा यह निवेदन है : यह कहना कि इस संशोधक विधेयक में कोई एक भी धारा अभियुक्त का गला घोंटने के लिये रखी गई है—मैं बिल्कुल सच्चे हृदय से कहता हूं और सदन मेरी बात पर विश्वास करे—बिल्कुल निराधार है । मुझे इस सदन के सभी सदस्यों से अधिक इस बात की चिन्ता है कि अभियुक्त का अभियोग समुचित न्यायालय के समक्ष उचित तथा न्यायपूर्ण हो ।

निर्दोष होने की पूर्वधारणा तथा सन्देह लाभ के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । निस्सन्देह, मुझे इस सब का पता है । परन्तु जहां तक हम भारतवासियों का सम्बन्ध है, इस की भाषा इस प्रकार है । अभियोक्ता पक्ष को अपना मामला अवश्य सिद्ध करना चाहिये । जब वे यह कहें कि किसी ने कोई चोरी की है, तो उन्हें उस बात को सिद्ध करना चाहिये और विधान मंडल ने निम्नलिखित शब्द लिखे हैं :—

> "किसी बात को तब सिद्ध हुई कहा जाता है जब, न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत विषय पर विचार करने के पश्चात् या तो उसके अस्तित्व पर विश्वास कर लेता है या उस के अस्तित्व को इतना संभाव्य

[डा० काटजू]

समझता है कि उस मामले की परिस्थितियों में कोई भी विचारशील मनुष्य उस के अस्तित्व की कल्पना करे ।"

यह दण्ड सम्बन्धी मामलों, व्यवहार सम्बन्धी मामलों, राजस्व सम्बन्धी मामलों और वास्तव में हर प्रकार के मामलों पर लागू होता है । किसी मामले के सिद्ध होने की यही कसौटी दी हुई है । यदि विचारशील व्यक्ति यह परिणाम न निकाले, तो वह बात सिद्ध हुई नहीं मानी जाती । यदि न्यायालय कोई निर्णय न कर सके, तो भी यह न तो सिद्ध मानी जाती है और न ही असिद्ध । आप मामले को चलने दीजिये ।

श्री ऐन्थनी ने कहा था--वह सदा की भांति अनपस्थित हैं--कि मजिस्ट्रेट पुलिस की मुट्ठी में होते हैं, वे जंगली लोग होते हैं और उन का भरोसा नहीं करना चाहिये । अतः वे सदा दण्ड देते हैं । विधेयक में यह कहा गया है कि यदि किसी निजी शिकायत पर कोई अभियोग चलाया जाये और कोई निजी शिकायत अस्वीकृत कर दी जाये, तो निजी शिकायत करने वाले को उच्च न्यायालय से अपील की अनुमति मांगने का अधिकार दिया जा सकता है । श्री एन्थनी ने कहा था : 'क्या आपने छोड़ने के विरुद्ध कभी अपील सुनी है ? यह न्याय के बिल्कुल विरुद्ध है । यदि वह दण्ड देता है तो वह जंगली प्राणी है । वह बिल्कुल पुलिस की मट्ठी में रहता है । उस का निर्णय कौड़ी का नहीं । परन्तु यदि वह छोड़ देता है, तो वह देवता बन जाता है । उस के निर्णय को किसी का भी नहीं देखना चाहिये ।' मेरे माननीय मित्र पंडित भार्गव ने यह आपत्ति की थी कि समर्पण-प्रक्रिया को हटाना एक बहुत बड़ा कदम है । परन्तु निजी शिकायतों द्वारा आरम्भ किये गये मामलों का क्या होगा ? मैं समझता हूं कि क्योंकि निजी शिकायत के सभी मामलों की पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की जाती, अतः एक स्वतंत्र प्राधिकारी, असैनिक गप्त-वार्ता विभाग द्वारा एक न्यायिक जांच किया जाना ठीक रहेगा । पंडित भार्गव ने कहा था, नहीं, नहीं, आप निजी शिकायतों के सम्बन्ध में भी समर्पण प्रक्रिया हटा दें । अच्छी बात है, यदि आप को यह विश्वास है कि यह अभियुक्त के हित में है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है; मैं तो केवल अभियुक्त को बचाना चाहता था, जिस से कि वह यह जान सके कि उसे किस प्रकार के मामलों का सामना करना पड़ेगा, किन्तु यदि आप यह समझते हैं कि वह यह कर लेगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अब केवल दो बातें रह गई हैं और मैं उन के साथ अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । एक तो झूठा साक्ष्य देने के लिये संक्षिप्त अभियोग चला कर दण्ड देने सम्बन्धी प्रस्ताव है । प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि विधि न्यायालयों में झूठा साक्ष्य बहुत प्रचलित है । इसे कैसे रोका जाये ? निस्सन्देह, नैतिक सम्मति, सामाजिक सम्मति, लोक मत, धार्मिक सम्मति, भजन, कीर्तन, साधुओं द्वारा हर प्रकार से दबाव डाला जाता है । क्या आप कोई ऐसी दिशा बतायेंगे जिस ओर कि असत्य बोलने वाले व्यक्ति को जाना चाहिये । इस की सभी ने निन्दा की है । श्री चटर्जी यहां नहीं हैं । उन्होंने अपने निजी न्यायिक अनुभव का उल्लेख किया था । उन्होंने कहा था कि 'जब मैं एक मामला सुन रहा था, तो एक साक्षी झूठ बोल रहा था । परन्तु जब मैं उस मामले को आगे सुनता रहा तो मैं ने सोचा कि वह सच बोल रहा है और इसलिये, जब अभियोग चल रहा हो तो यह संक्षेप से अभियोग चला कर दण्ड देने की प्रक्रिया बहुत हानिकारक है ।' परन्तु उन्हों ने धारा को नहीं

पढ़ा। धारा में यह दिया हुआ है कि जहां तक मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में जिरह का प्रश्न है, इस विषय में कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा। यह प्रश्न तो केवल सहायक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है। मैं ने भी एक दृष्टान्त दिया था। एक मनुष्य कुछ कहता है। बचाव पक्ष का वकील तुरन्त बिल्कुल सच्चे सच्चे प्रमाण दे कर यह सिद्ध कर देता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उस समय वह कलकत्ता या लखनऊ में था और उस का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। स्पष्ट है कि श्री चटर्जी को इसी बात के कारण कष्ट हुआ था और उन्हें कुछ निश्चय करना पड़ा—भगवान् जाने क्या। किसी ने इसे नहीं पढ़ा और वे यह कहते हैं कि झूठा साक्ष्य देने के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु भगवान् के लिये इस झूठे साक्ष्य को 'रोकने' का, जोकि न्याय करने में बहुत बाधा पहुंचा रहा है, मुझे कोई ढंग तो बताइये। केवल यह कहने से कोई लाभ नहीं कि अभिव्यक्ता संघ झूठे साक्ष्य के अड्डे हैं। इन अड्डों की कार्यवाहियों को बन्द करने और इन अड्डों को रोकने के लिये दण्ड के द्वारा कुछ अवश्य किया जाना चाहिये।

अन्तिम बात मानहानि को हस्तक्षेप्य बनाने सम्बन्धी उपबन्ध है जिस पर कि बहुत अधिक चर्चा हुई है। सदन ने मेरे विचार सुन लिये हैं और सदन ने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के विचार भी सुन लिये हैं और मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इसे निबटायेगी। मैं यह कहूंगा कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी अपराध को हस्तक्षेप्य बनाने का यह अर्थ नहीं है कि कोई दण्ड दिया जायेगा या अभियोग में कोई हस्तक्षेप किया जायेगा। प्रश्न केवल यह है कि हम इस की कार्यवाही को आरम्भ कर सकेंगे। समाचारपत्रों में निन्दाजनक वक्तव्य, सामान्यतया छाप कर मानहानि करने के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है और कोई अभियोग नहीं चलाया जाता। चाहे आप इस उपबन्ध को इसी प्रकार अधिनियमित कर दें या संशोधित रूप में अधिनियमित कर दें, हमें इसे रोकना ही चाहिये। इस से बड़ी परेशानी होती है। मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि संसत्सदस्यों के सम्बन्ध में क्यों न बनाया जाये? यदि वे यह चाहते हैं तो मैं इसे जोड़ दूंगा। यदि कोई मानहानि करने वाला वक्तव्य दिया जाये और यदि किसी संसत्सदस्य के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाये कि उस ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उस ने प्रभाव डालने के लिये कुछ ग्रहण किया है या इसी प्रकार की कोई बात की है, तो पुलिस को उस की जांच करने दीजिये और हम उसे देख लेंगे। परन्तु शरारत तो होती ही है। इसे कैसे रोका जाये? आजकल तथाकथित गैर-जिम्मेदार पत्र तथा अन्य पत्रिकायें यह समझती हैं कि वे बिल्कुल सुरक्षित हैं और कोई उन पर अभियोग नहीं चलायगा। इस प्रकार यह चलता रहता है। प्रशासन की हानि होती है, लोक हित की हानि होती है। कृपया यह स्मरण रखिये कि मैं सरकारी नोकरों को बचाने के लिये ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं यह इसलिये कर रहा हूं कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो जाय जो सत्य का पता लगा सके। यदि सत्य पत्रकार या छापने वाले के पक्ष में हो तो मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके या अभियोग चला कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। निस्संदेह यदि बिना किसी कारण के उसे कलंकित किया गया हो तो समाचार पत्र को उस की हानि उठानी चाहिये। एक कार्य कुशल पुलिस का यही कर्तव्य है।

[डा० काटजू]

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को इस सरकार की ओर से, सारी भारत सरकार की ओर से, हम सब की ओर से फाइलों पर इकट्ठी की हुई सामग्री से लाभ उठाने का और इस बात का ध्यान रखने का कि अधिक से अधिक सुधार किया जाये और न्याय अधिक शीघ्रता से, कुशलता से और कम खर्च में किया जाये, एक सच्चा प्रयत्न मात्र समझें। कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी संहिताओं का उल्लेख किया था। हम उन सबको धीरे धीरे लेंगे। इसमें अभियुक्त को तंग करने या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की जरा भी इच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहिले मैं संशोधनों को निपटा दूंगा फिर मूल प्रस्ताव को लूंगा। यहां श्री वल्लाथरास तथा श्री श्रीकान्तन नायर के दो संशोधन हैं।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : आप के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री श्रीकान्तन नायर का संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया है, इसलिये मेरे संशोधन को प्रस्तुत किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

प्रस्ताव में "and 16 members from the Council" (और परिषद के १६ सदस्यों) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"With instructions to suggest and recommend amendments to any other sections of the said code not covered by the Bill, if in the opinion of the said committee such amendments are necessary."

["उक्त संहिता की किन्हीं अन्य धाराओं में जो इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती संशोधनों का सुझाव और उन की सिफारिश करने के अनुदेशों सहित; यदि उक्त समिति की राय में ऐसे संशोधन आवश्यक हों"]

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटारमन के संशोधन को माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

प्रस्ताव में " and 16 members from the Council". ("और परिषद के १६ सदस्यों") के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"With instructions to consider and report on the provisions contained in the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1952 by Shri S. N. Ramaswamy, M. P."

["श्री एस० वी० रामस्वामी, संसद-सदस्य, के दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५२ में दिये गये उपबन्धों पर विचार करने तथा उन पर प्रतिवेदन देने के अनुदेशों सहित"]

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फर्रुखाबाद-उत्तर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिया गया ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दोनों संशोधनों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को, जिस में इस सदन के ३३ सदस्य, अर्थात, श्री नरहर विष्णु गाडगील, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री जोकीम आल्वा, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री राधा चरण शर्मा, श्री शंकर गौड बीरनगौड पाटिल, श्री टेक चन्द, श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल, श्री के० पेरियास्वामी गौंडर, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री झूलन सिन्हा, श्री अहमद मुहीउद्दीन, श्री कैलाश पति सिन्हा, श्री सी० पी० मात्तन, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा , श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री बसन्त कुमार दास, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री रघुवीर सहाय, श्री रघुनाथ सिंह, श्री गणपति राम, श्री सैय्यद अहमद, श्री राधारमण, श्री माधव रेडडी श्री के० एम० बल्लाथरास, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, सरदार हुक्म सिंह, श्री भवानी सिंह, डा० लंका सुन्दरम, श्री रायसम शेषगिरि राव, श्री एन० आर० एम० स्वामी तथा डा० काटजू और परिषद के १६ सदस्य हों, उक्त संहिता की किन्हीं अन्य धाराओं में जो इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती, संशोधनों का सुझाव और उन की सिफारिश करने के अनुदेशों संहित, यदि उक्त समिति की राय में ऐसे संशोधन आवश्यक हों, तथा श्री एस० वी० रामस्वामी, संसद सदस्य, के दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५२ में दिये गये उपबन्धों पर विचार करने तथा उन पर प्रतिवेदन देने के अनुदेशों सहित, सौंपा जाय ।"

"कि संयुक्त समिति की बैठक की गठन के लिये संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या को गणपूर्ति समझा जायेगा;

कि समिति इस सदन को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी;

कि अन्य विषयों में इस सदन के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम लागू होंगे, किन्तु उन में अध्यक्ष की इच्छानुसार परिवर्तन तथा रूप भेद किया जा सकेगा; और

कि यह सदन परिषद से यह सिफारिश करता है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और परिषद द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सदन के पास भेज दे ।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक पर, जैसा कि राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार करेगा ।

*सूची संख्या २ के संशोधन संख्या २ को अस्वीकृत हुआ समझा गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर वर्तमान राज्यों को मिला कर नये हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्माण का, और उस से सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

बिलासपुर भारत का सब से छोटा राज्य है। यह पंजाब की पहाड़ी रियासतों में से एक थी और इसे पहिले ही हिमाचल प्रदेश में मिला देना चाहिये था। किन्तु इस में सतलज नदी का जल उपलब्ध है और इस में भाकरा-नांगल बांध का जलाशय है। यह विधेयक काफी पहिले प्रस्तुत किया जा सकता था। किन्तु मैं यह चाहता था कि परियोजना के प्रशासन के लिये उचित प्रबन्ध किया जा सके तथा उस बांध के जलाशय बन जाने के परिणामस्वरूप जिन लोगों की जमीनें, मकान आदि उस भाग में आ जायेंगे उन के फिर से बसाये जाने का भी उचित प्रबन्ध किया जा सके हम ने खण्ड ३१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उचित प्रबन्ध किये जाने के बारे में उपबन्ध किया है। बिलासपुर के अलग राज्य रहने से बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो रही थीं। उस के लिये मुख्य आयुक्त तथा अन्य अधिकारी रखने पड़ते हैं। एक लाख की आबादी वाले राज्य की 'ष्टि से यह धन तथा समय का अपव्यय ही था। बिलासपुर के लोग अपने प्रशासन कार्य में कोई भाग भी नहीं ले सकते थे। वहां कोई विधान सभा नहीं है। इस विधेयक के अन्तर्गत, बिलासपुर निवासी हिमाचल प्रदेश विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे और उस में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रक्षित होंगे। इस विधेयक पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा है और उस का कोई विरोध नहीं किया गया था। किन्तु अब एक याचिका आई है और उस में लोगों के हस्ताक्षर लिये गये हैं किन्तु मैं नहीं जानता कि ये हस्ताक्षर किस प्रकार लिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द चन्द के नाम से एक संशोधन है। किन्तु मुझे इस में सन्देह है कि इसे स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। क्या माननीय सदस्य मुझे यह बतायेंगे कि जब कोई विधेयक राज्य-परिषद द्वारा पारित रूप में यहां प्रस्तुत किया जाय तो इस सदन के नियमों के अन्तर्गत कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं ?

श्री आनन्दचन्द : मैं समझता हूं कि इस सदन को इस विधेयक पर लोक मत जानने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। यदि इसे राज्य-परिषद ने पारित कर दिया है तो इस से हम पर इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता कि हम इस पर वाद-विवाद नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने ८ दिसम्बर को जो विनिदेश दिया था उस की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। जब त्रावणकोर कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, जैसा कि राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया था, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था तब श्री मात्तन ने कहा था कि उस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। उस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने कहा था कि नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस के द्वारा द्वितीय सदन द्वारा पारित रूप में विधेयक को परिचालित किया जा सके। केवल प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के

में ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बारे में क्या किया जा सकता है यह उपबन्ध नियम १४६ में दिया हुआ है। एक ऐसे ही पहिले मौके पर मैं ने ऐसा ही विनिर्देश दिया था। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डालें।

श्री पुन्नूस (आलप्पि) : यह ठीक है कि एक पहिले मौके पर आप ने ऐसा ही विनिर्देश दिया था। यदि इस बात को मान लिया जाय तो सरकार किसी विधेयक को द्वितीय सदन में प्रस्तुत कर सकती है और फिर वह जनमत प्राप्त किये जाने के लिये परिचालित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात इस सदन द्वारा पारित विधेयक के बारे में भी कही जा सकती है। अन्य सदस्यों की बात सुनने से पहिले मैं संशोधन की सूचना देने वाले सदस्य की बात सुनना चाहता हूं।

श्री आनन्दचन्द : दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें समान रूप से लागू किया जाना चाहिये। यदि दोनों ही सदनों में भिन्न भिन्न विधेयक प्रस्तुत किये जायें तो उन पर जनमत जानने के लिये सरकार उन्हें परिचालित नहीं होने देगी। मैं चाहता हूं कि इस विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए आप इस पर अपना विनिर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि मुझे माननीय सदस्य यह बतावें कि नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध है; यदि ऐसा उपबन्ध है तो मेरा पहिला विनिदेश ठीक नहीं होगा; या उस समय कोई ऐसा उपबन्ध न होगा। यदि ऐसा उपबन्ध है तो मैं इस संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मेरा निवेदन है कि इस समय आप इस पर निर्णय न करें। हमें इस पूरी बात की जांच करने के लिये समय मिलना चाहिये। आप इस बारे में ठीक मार्ग प्रदर्शन कीजिये क्योंकि आप को विनिर्देश का भविष्य में निर्देश किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय देने के लिये तैयार हूं।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : आप ने यह विनिर्देश दिया था कि द्वितीय सदन द्वारा पारित विधेयक जब इस सदन में प्रस्तुत हो तो उस पर जनमत जानने के लिये उसे परिचालित नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि द्वितीय सदन के अध्यक्ष का विनिर्देश आप के विनिर्देश से विपरीत हो तो प्रक्रिया में असमानता हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पारस्परिक आधार पर विनिर्देश नहीं देता। हम प्रक्रिया के नियमों का अनुसरण करते हैं। इस मामले में एक विशेष नियम १५४ है।

श्री आनन्दचन्द : नियम ९१ में उन संशोधनों का उल्लेख है जो किसी विधेयक के स्तुत किये जाने के बाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धारा (१) में नियम ९१ है जो उन विधेयकों के सम्बन्ध में है जो कि पहिले इस सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। धारा (२) में उन विधेयकों का उल्लेख है जो द्वितीय सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नियम १५४ में उन प्रस्तावों का उल्लेख है जो स सदन में प्रस्तुत किये जा सकते । उस में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस के द्वारा परिचालन प्रस्ताव द्वारा विचारार्थ प्रस्ताव में संशोधन किया जा सके। यह एक ऐसा मामला है जिस से इस सदन के अधिकार कम हो जायेंगे इसलिये मैं इस पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगा। क्या गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री को इस पर कुछ कहना है ?

डा० कटजू : यदि नियम में जनमत जानने के बारे में किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है तो यह स्पष्ट है कि उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । आपका पहिला विनिर्देश ठीक था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वैसे तो मुझे यह संशोधन अनियमित ठहरा देना चाहिये किन्तु इस के वैध अथवा अवैध होने के बारे में अपने विनिर्णय को स्थगित रखते हुए मैं माननीय सदस्य को अपनी बात कहने की अनुमति देता हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलेम) : क्या आप इस आशय के एक संशोधन की स्वीकृति देंगे कि यह विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु इस की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

श्री आनन्दचन्द : माननीय गृह मंत्री ने हमें तीन युक्तियुक्त कारण बताये हैं कि वे किस लिये इस विधेयक पर विचार करना चाहते हैं तथा क्या कारण है कि बिलासपुर को एक भाग 'ग' राज्य के रूप में नहीं रखा जा सकता । पहला कारण उन्हों ने यह बताय है कि यह भारत का सब से छोटा भाग 'ग' राज्य है । किन्तु यह कुछ ठीक तर्क नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बहुत छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया जाय । यदि बिलासपुर सब से छोटे राज्य के रूप में अपना अस्तित्व खो बैठेगा तो कोई अन्य राज्य, जैसे कुर्ग, उस का स्थान ले लेगा । इस प्रकार कहां तक इन सब से छोटे राज्यों की समाप्ति होती रहेगी ?

मैं सदन के सम्मुख देश का वह नक्शा रखना चाहता हूं जो १५ अगस्त १९४७ को विद्यमान था । मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि भारत की देशीय रियासतों का एकीकरण हो गया है । स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय राज्यों का भारत सरकार के साथ सम्बन्ध प्रवेश लिखितों पर आधारित था । सभी राज्यों ने इन प्रवेश लिखितों पर हस्ताक्षर किये थे । यह लिखितें अस्थायी रूप में केवल तीन विषयों तक सीमित थीं, अर्थात रक्षा, संचार तथा वैदेशिक कार्य । इस के पश्चात् इन भारतीय राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया । भारत सरकार की नीति बातचीत द्वारा भारतीय राज्यों को संघ के अधिक निकट सम्बन्ध में लाना था । मैं शब्द 'बातचीत' पर बल देना चाहता हूं, क्योंकि किसी पर किसी प्रकार का दबाव डालने का विचार नहीं था ।

यह कार्य १५ अगस्त, १९४७, और नवम्बर, १९४९ के बीच कर लिया गया था और सभी राज्यों को विभिन्न करारों के अन्तर्गत संघ में मिला लिया गया । किन्तु इन सभी करारों का आधार 'बातचीत' ही रही ।

बिलासपुर ने भी प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर किये और उस समय के विकासशील भारत संघ में अपना स्थान ग्रहण किया, किन्तु यह सब कुछ बातचीत और समझौते के आधार पर ही हुआ था । उस समय सरदार पटेल ने विशेष रूप से बिलासपुर को एक पृथक राज्य रहने देना स्वीकार किया था । ऐसा करने में उन्होंने कोई भूल नहीं की थी ।

भारतीय राज्यों के बारे में मार्च, १९५० में जारी किये गये श्वेत-पत्र के पृष्ठ ४७, कंडिका ११७, में बिलासपुर राज्य का उल्लेख है । इस में कहा गया है कि भाखड़ा बांध के इस राज्य में स्थित होने के कारण इसे एक पृथक केन्द्र-प्रशासित एकक के रूप में लिये जाने का निश्चय किया गया है । इस राज्य को १२ अक्तूबर, १९४८ को केन्द्रीय प्रशासन के अधीन लिया गया था । संविधान सभा में भी यह पूछे जाने पर कि बिलासपुर को एक

पृथक राज्य के रूप में क्यों रखा गया है सरदार पटेल ने, जो उस समय राज्य मंत्री थे, यह उत्तर दिया था कि लोकहित में ऐसा किया गया है। भाखड़ा बांध भी एक कारण था, किन्तु इस पर इतना बल देते समय हमें यह भूल नहीं जाना चाहिये कि इस बांध का वहां की जनता के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। बिलासपुर की जन संख्या एक लाख २६ हजार है। भाखड़ा बांध के बन जाने से इस राज्य का ४७०० मुरब्बा मील क्षेत्र जलग्रस्त हो जायेगा जिस के फलस्वरूप लगभग १७ हजार लोग बेघर हो जायेंगे। इन लोगों ने सर्वहित के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस राज्य को केन्द्रीय प्रशासन में रखा गया था। इसे भाग 'ग' का रूप दिया गया और यह बात संविधान में अंकित की गई।

इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि अब बिलासपुर को एक पृथक भाग 'ग' राज्य के रूप में रखने की कुछ आवश्यकता नहीं रही है। किन्तु ऐसा करने के लिए कारण कुछ भी नहीं बताया गया है। हां, राज्य मंत्रालय की १९५२-५३ की रिपोर्ट में सीमाओं के समायोजन की बात अवश्य आई है। कारण यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की यह मांग है कि भाषा तथा संस्कृति की एकरूपता के कारण बिलासपुर का उक्त प्रदेश में विलय होना चाहिये। किन्तु यदि यही बात थी तो उचित तो यह था कि सरकार एक आयोग की नियुक्ति कर देती जो इस विषय में जांच करता और बिलासपुर की जनता की वास्तविक इच्छाओं का भी पता लगाता।

सम्भव है कि डेढ़ वर्ष के बाद बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय करने के फैसले के कोई कारण हों। परन्तु स्पष्ट है कि सब से अच्छा तरीका यह होता कि लोगों से पूछा जाता "क्या हिमाचल प्रदेश से आप का सम्बन्ध तथा स्नेह है तथा क्या इस कारण आप बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय चाहते हैं?" बिलासपुर पर पंजाब सरकार का भी दावा है तथा इस की स्थिति उस दुल्हन की सी हो गई है जिस से दो वर विवाह करने के इच्छुक हों। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने दुलहन की इच्छा जाने बिना उस का विवाह कर देने की ठानी है। इस सम्बन्ध में जो सम्मेलन हुआ था, उस में और सभी दावेदार राज्यों के प्रतिनिधि थे, केवल बिलासपुर का उस में कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। यदि कोई था भी तो वह था बिलासपुर का मुख्य आयुक्त जो सरकार का प्रतिनिधित्व तो कर सकता है परन्तु जनता का नहीं।

उस १८ अगस्त, १९५२ के सम्मेलन में क्या फैसला हुआ? फैसला यह हुआ कि भाखड़ा-नांगल परियोजना के सम्बन्ध में एक निगम की स्थापना की जाय तथा परियोजना का कार्य भार इस संविहित निकाय को सौंपने के बाद बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया जाय। यह फैसला प्रजातन्त्रवाद के बिल्कुल विरुद्ध है क्योंकि इस में सम्बन्धित पक्षों से परामर्श नहीं किया गया था।

इस की प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रथम तो यह कि ४२,००० व्यक्तियों के हस्ताक्षर से एक याचिका भारत सरकार को भेजी गई। उस में इस फैसले को ग़लत बताया गया था तथा लिखा था कि जिन लोगों को ज़मीनों आदि से वंचित किया जाना था, उन के पुनर्वास के कोई प्रबन्ध नहीं किये गये थे। सन् १९५४ तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं समझता हूं कि इस का एकमात्र कारण पंजाब सरकार का घोर विरोध था। इस फैसले के अगले ही दिन पंजाब के मुख्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वक्तव्य दिया था। श्री भीमसेन सच्चर ने कहा था

[श्री आनन्दचन्द]

कि "बिलासपुर के विलय के प्रश्न का निर्णय भाखड़ा बांध तथा नांगल नहर की परम आवश्यकता के विचार पर निर्भर होना चाहिये"। उन्हों ने और आगे कहा था कि "प्रधान मंत्री का विचार है कि भाखड़ा बांध के लिए एक स्वतन्त्रता प्राधिकार की स्थापना वांछनीय है तथा इस विचार से यह विषय कि बिलासपुर पर किस राज्य का अधिकार हो कोई विशेष महत्व का नहीं है।

इस से यह प्रकट होता है कि बिलासपुर के क्षेत्राधिकार के बारे में दोनों राज्यों में खींचातानी थी। सम्भवत: ४२,००० व्यक्तियों के हस्ताक्षर आदि से भेजे गये अभ्यावेदनों के प्रभाव से ही १९५४ तक किसी फैसले से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। अब १९५४ में एकाएकी इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने राज्य-परिषद में इस अभिप्राय के कुछ शब्द कहे हैं कि बिलासपुर के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए इस विधेयक के शीघ्र पारित किये जाने की आवश्यकता है। इस विचार से वह बिलासपुर के पृथक अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। इस तरह तो कल को किसी और क्षेत्र के बारे में भी जहां प्रशासन अच्छी तरह से न चल सके, यही तर्क दिया जा सकता है। परन्तु यह तर्क कोई ठोस तर्क नहीं है। होना तो यह चाहिये था कि यदि मुख्य आयुक्त या राज्यपाल इतना योग्य सिद्ध न हो तो उस के स्थान पर दूसरा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल नियुक्त किया जाय। मैं ने स्वयं यह कहा था कि वहां के प्रशासन कार्य में खराबी आ रही है। उस समय राज्य मंत्री ने उसे स्वीकार नहीं किया था। आज उन का कहना है कि "हम प्रशासन पर बहुत अधिक अधिकारियों की अनुमति का बोझ लादना नहीं चाहते हैं"।

आखिर यह केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है—भले ही यह कितना छोटा क्यों न हो—तथा वहां पर काम तो होगा ही। कई तरह के कृत्यों के वहां पर भी पूरा किये जाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि कहीं और। अतएव यह कोई तर्क नहीं है कि वहां पर प्रशासन के ठीक तरह से कार्य न कर सकने के कारण राज्य के पृथक अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये। एकमात्र कारण यही हो सकता है कि बिलासपुर का विलय भाषा तथा संसकृति की सम्बद्धता के विचार से होना चाहिये तथा विलय से पहले एक संविहित विकास की स्थापना की जाय। इस आधार पर भी बिलासपुर के प्रति अन्याय हुआ है। आप इस से पहले एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर चुके हैं। बिलासपुर का मामला भी इसी आयोग को क्यों न सौंपा जाय? बिलासपुर के लोग इस विलय के विरुद्ध हैं तथा आयोग एक ऐसा निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक सम्बद्धता को निश्चित करेगा। यह आयोग प्रत्येक एकक के तथा सारे राष्ट्र के कल्याण के विचार से राज्यों का पुनर्गठन करेगा। बिलासपुर भी एक ऐसा ही एकक है जिस के हितों को उन्नत किया जाना चाहिये। यदि आप का दृष्टिकोण राज्यों के पृथक अस्तित्व को बारी बारी से मिटाने का रहा तो कोई राज्य भी पृथक अस्तित्व नहीं रख सकेगा।

राज्य-परिषद में जब इस बात पर चर्चा चली तो राज्य मंत्री ने कहा कि इस का फैसला राज्य पुनर्संगठन आयोग द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा किया जायगा। मैं उन से सहमत हूं कि यह संसद सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न है। हम भारत के लोगों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की विधि बना सकते हैं, परन्तु संसद सभी जगहों पर घूम घूम कर जनता की इच्छा या क्षेत्रों की पारस्परिक सांस्कृतिक सम्बद्धता का पता तो नहीं लगा सकती है; इस के लिये तो किसी निकाय की

स्थापना करनी ही होगी । जब वह निकाय अपनी सिफारिशें भेजेगा तो हमें उन के अनुसार चलना होगा । मैं यह भी मानता हूं कि यह आयोग उच्च-अधिकार सम्पन्न आयोग नहीं है---क्योंकि यदि यह ऐसा होता तो हमें इस के फैसले को मानने के लिये अवश्य ही बाध्य होना होता । मैं केवल यह कह रहा हूं कि हम इन दोनों राज्यों को मिला कर हिमाचल प्रदेश बनाने जा रहे हैं । प्रस्तावित राज्य केवल एक भाग 'ग' में का राज्य होगा जिस की जनसंख्या उत्तर प्रदेश या पंजाब के किसी एक ज़िले के बराबर होगी । यदि माननीय मंत्री का कहना यह है कि बिलासपुर एक स्वयं-समर्थ राज्य नहीं है तो मेरा कहना यह है कि हिमाचल प्रदेश भी एक स्वयं-समर्थ राज्य नहीं है । मेरा निवेदन है कि हमारे गणतन्त्र में छोटे से छोटे राज्य को भी अपने पृथक अस्तित्व को बनाये रखने की अनुमति होनी चाहिये ।

जैसा कि मैं कह रहा था, एक उपबन्ध ऐसा था जिस के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य के लोगों का मत प्राप्त कर सकती थी । आप ने वहां के लोगों को यह अवसर ही नहीं दिया कि वह विलय के मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग पर छोड़ सकते ।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से मुझे शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती है । मुझे कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सदस्य श्री तुलसीदास से मालूम हुआ कि हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक सत्र के १५ मई के बाद तक बढ़ाये जाने के कारण प्रस्तुत किया गया है । आखिर इस विधेयक के सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही करने अथवा दोनों राज्यों को शीघ्र ही मिला देने में आप का प्रयोजन क्या है ? विधेयक केवल उसी दिन लागू हो सकेगा जिस दिन सरकार सूचना-पत्र में उसे अधिसूचित करेगी । सरकार इस बारे में स्वयं कोई फैसला नहीं कर सकी है; फिर शीघ्रता करने से क्या लाभ ? यदि वे स्वयं अनिश्चित हैं तो इस मामले को पुनर्गठन आयोग को निर्दिष्ट क्यों नहीं करते हैं ?

मेरा विचार है कि ठीक तरीका तो यही होता कि इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया जाता । जब ग़लत फैसला हो तो जनता की प्रतिक्रिया भी अनिवार्य होती है । स्वयं राज्य मंत्री ने राज्य-परिषद् में इसे स्वीकार किया है । मैं बिलासपुर के निर्धन से निर्धन व्यक्ति को जानता हूं । वे लोग पहाड़ियों तथा नदियों के किनारों पर रहते हैं । उन की कुल संख्या १,२६,००० है । राज्य मंत्री इस जनसंख्या के इतना थोड़ा होने की हंसी भी उड़ाते हैं, परन्तु मैं पूछता हूं कि आखिर कुर्ग की जनसंख्या कितनी है ? कुर्ग की जन संख्या केवल दो लाख है, फिर भी वह एक भाग 'ग' राज्य है । आप सर्वत्र एक सिद्धान्त का अनुसरण करें । कुछ भी हो, इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत संघ के एक राज्य से है---भले ही वह कितना छोटा क्यों न हो । यदि आप किसी राज्य के पृथक अस्तित्व को वहां की जनता की इच्छा को जाने बिना ही मिटा देना चाहते हैं तो प्रजातन्त्रवाद कहां रह गया ?

मैं ने मनीपुर के अपने माननीय मित्र का भाषण सुना था । उन्हों ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि यदि वह गोलमाल कर सकें तो वह अवश्य ऐसा करेंगे । किन्तु मैं कोई गोलमाल नहीं कर सकता हूं, मैं केवल सदन से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि कोई अन्याय न किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने माननीय सदस्य को एक घंटा दिया है । मैं आशा करता हूं कि वह अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर देंगे । अन्यथा माननीय मंत्री के बोलने के लिये भी समय नहीं रहेगा ।

श्री आनन्दचन्द : मैं चन्द मिनटों में समाप्त कर दूंगा। मैं इस प्रकार के विधेयक की प्रतिक्रिया के बारे में कह रहा था। सदन के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की गई है। इस पर बिलासपुर के लगभग ४५,००० लोगों के हस्ताक्षर हैं। गृहमंत्री ने आश्चर्य प्रकट किया है कि इतने हस्ताक्षर कैसे प्राप्त किये गये हैं। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं और मैं उन्हें बता सकता हूं कि हमारे यहां कोई ऐसी पुलिस या सेना नहीं है, जिस ने बल-प्रयोग से यह हस्ताक्षर कराये हों। सब लोगों के नाम और पते दिये हुए हैं। आप उन्हें बुला कर पूछ सकते हैं कि उन्हों ने हस्ताक्षर स्वेच्छा से किये हैं या नहीं। बिलासपुर के मुख्य आयुक्त को, जो कि इस समय हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल हैं अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये हैं और उन से यह प्रार्थना की गई है कि वह इसे भारत सरकार के सामने रखें और उसे बतलायें कि बिलासपुर के लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाई न की जाये।

इस याचिका में यह पूछा गया है कि जब भारत सरकार ने चन्द्रनगर के जो कि एक फ्रांसीसी बस्ती थी २६,००० लोगों के सम्बन्ध में आत्म-निर्णय का अधिकार मान लिया है, तो एक भाग 'ग' राज्य के भविष्य के बारे में उस के लोगों से राय क्यों न ली जाये। बिलासपुर क्षेत्रफल में चन्द्रनगर से बड़ा है। इस के निवासियों को भूमि चाहिये और हिमाचल प्रदेश में कोई भूमि नहीं है। बिलासपुर के लोगों को बसाने के लिए वहां कोई भूमि नहीं है। उन्हों ने कई बार पंजाब से भूमि मांगी है किन्तु पंजाब ने इन्कार किया है। क्यों? इसलिये क्योंकि यह क्षेत्र उसे मिलेगा नहीं। प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार इन लोगों को कैसे बसायेगी। धारा ३१ की ओर निर्देश किया गया है। किन्तु इस के अन्तर्गत केवल सरकार को भाखड़ा-नांगल परियोजना को उचित रूप से प्रशासित और क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है। १७,००० लोगों के पुनर्वास और भविष्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इस बांध के कारण हमें विस्थापित किया जा रहा है और इस धारा के अन्तर्गत पंजाब सरकार को यह निदेश नहीं दिये जा सकते हैं कि वह हमें भूमि दे। भाखड़ा-नांगल से दिल्ली को गाड़ियां चलाने के लिए बिजली दी जायेगी, और लाखों एकड़ भूमि में खेती की जायेगी किन्तु बिलासपुर के लोगों को जिन के बलिदान से ही यह सब कुछ संभव होगा, मिटा दिया जायेगा। क्या यह उचित है, क्या यह न्याय है?

सदन को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या यह नया राज्य जो इस विधेयक के कारण बनेगा, जिस की जनसंख्या ११ लाख होगी और अर्थ व्यवस्था घाटे की होगी, अच्छी तरह चल सकेगा। हिमाचल प्रदेश एक घाटे का राज्य है और बिलासपुर भी। इन दोनों घाटे के राज्यों को विलीन करने से क्या लाभ होगा। मैं समझता हूं कि यह बिलासपुर राज्य के लोगों के प्रति न्याय नहीं है और न ही हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति न्याय है, क्योंकि इन को तो कल वहां पंजाब के प्रश्न पर राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अपनी लड़ाई लड़नी है।

मैं निवेदन करता हूं कि इस अवस्था पर विधेयक पर विचार न किया जाय। चन्द्रनगर की तरह यहां भी राज्य मंत्रालय को एक जांच आयोग नियुक्त करना चाहिये, जो लोगों की राय मालूम करे। जब इस आयोग की सिफ़ारिश सदन पटल पर रख दी जाये, तो सदन जो कार्यवाही चाहे करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोरे के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं सदन को यह सूचित कर दूं कि मैं ने द्वितीय सदन के प्रक्रिया

नियम मंगाये थे । वे भी बिलकुल शब्दशः इस सदन के प्रक्रिया नियमों जैसे ही हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन यह है कि इस सदन को, क्योंकि यह जनता की इच्छा और उस के समर्थन से बना है प्रायः जनता की राय लेनी पड़ती है और इसलिये द्वितीय सदन द्वारा इस विधेयक के पारित कर दिये जाने पर भी जनता की राय जानने के लिये इसे परिचालित करने के इस के अधिकार पर कोई रोक नहीं है ।

इस विधेयक के गुणों के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं माननीय गृह मंत्री की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इन छोटे छोटे सभी भाग 'ग' राज्यों को समाप्त कर देना चाहिये । मुझे इस का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि दस राज्यों को रखा जाये ।

जहां तक बिलासपुर का सम्बन्ध है, इस से विधि सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है । अनुच्छेद ३६३ के अन्तर्गत जब कभी किसी राज्य के शासक और भारत सरकार के बीच किसी करार या सन्धि या समझौते के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तो उस विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है । बिलासपुर के भूतपूर्व शासक ने कहा है कि माननीय राज्य-मंत्री ने भारत सरकार की ओर से उस के साथ जो मूल करार किया था उस का उल्लंघन किया गया है । अनुच्छेद १४३ के अनुसार इस प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है । अतः यदि ऐसा कोई विवाद हो, तो इसे अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति से परामर्श प्राप्त करने के लिये उसे निर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिये । हम इस विषय पर चर्चा को स्थगित कर के राष्ट्रपति को अनुच्छेद १४३ के अधीन इस विषय में उच्चतम न्यायालय की सम्मति जानने का अवसर दे सकते हैं कि क्या भूतपूर्व शासक की यह धारणा ठीक है या नहीं कि यह विधेयक किये गये करार का उल्लंघन कर के बनाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, श्री आनन्द चन्द जी के संशोधन में यह कहा गया है कि यह विधेयक १ अक्तूबर, सन् १९५४ तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

इस प्रकार का विधेयक द्वितीय सदन में आरम्भ किया जा सकता है और जब यह इस सदन के समक्ष आये, तो इस प्रस्ताव में केवल यह संशोधन किया जा सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय अतः मैं इस संशोधन को अनियमित ठहराता हूं ।

अब मैं श्री राधे लाल व्यास को बुलाता हूं ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने अभी बिलासपुर से निर्वाचित माननीय सदस्य के भाषण को बहुत ध्यान से सुना और मुझे प्रसन्नता है कि उन्हों ने जनतन्त्र पद्धति को अपनाने का फ़ैसला कर लिया है और जनतन्त्र पद्धति के अनुसार यहां पर इस बिल के विरोध में कार्यवाही करने का निर्णय किया है । श्रीमान, उन्हों ने १५ अगस्त, १९४७ के दिन की और उन दिनों की घटनाओं की याद दिलाई और कहा कि बिलासपुर राज्य को एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में क्यों रखा गया था । उन्हों ने श्री वी० पी० मेनन के एक पत्र को भी यहां पढ़ कर सुनाया और उस पत्र को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यह नतीजा अवश्य निकालेगा कि उस वक्त के नरेश और माननीय सदस्य बिलासपुर के सम्बन्ध में जो इंस्ट्रूमेंट आफ़ एक्सेशन था उस पर शायद हस्ताक्षर करने को सहमत नहीं थे .....

श्री आनन्दचन्द : यह बात ग़लत है ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं नहीं, वह श्री मेनन का पत्र कह रहा है ।

श्री आनन्दचन्द : मैं ने १० अगस्त को हस्ताक्षर कर दिये थे ।

श्री राधेलाल व्यास : मेनन साहब ने इंस्ट्रूमेंट आफ़ एक्सेशन को साईन करने का उस पत्र में निमंत्रण दिया था और वह पत्र स्वयं इस बात का प्रमाण है कि वह उस समय भी इंस्ट्रूमेंट आफ़ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने को सहमत नहीं थे । स्वर्गीय सरदार पटेल ने जिस तरह से रियासतों का एकीकरण किया और देशी राज्यों के प्रति जिस उदारता और दूरदर्शिता से काम लिया वह वास्तव में सराहनीय है और उस से किसी को इंकार नहीं हो सकता है और यह उन की योग्यता और दूरदर्शिता का नतीजा था कि ऐसे समय में उन्हों ने इंस्ट्रूमेंट आफ़ एक्सेशन पर उन के हस्ताक्षर कराये । १९४७ में जिस समय कि ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान किया कि सावरेन्टी अब खत्म हो कर राजाओं के पास वापिस जाती है उस समय बिलासपुर स्टेट की क्या स्थिति थी ? श्रीमान्, मुझे इस सात महीने में तीन मर्तबा बिलासपुर स्टेट में जाने का मौक़ा मिला और मैं अभी दस दिन तक वहां पर रहा था और मैं ने वहां की स्थिति का जो अध्ययन किया उस के आधार पर मैं आप से कह सकता हूं कि बिलासपुर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मालूम हुईं और कई लोगों के मत जो मालूम हुए, वह मैं आप के सामने रखता हूं । मेरे पास इतना समय नहीं है कि सब को पढ़ कर यहां पर सुनाऊं । लेकिन सन् ४७–४८ में जो स्थिति थी, उस मौक़े पर हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े माननीय नेता जो उस समय कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे, डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया उन के वक्तव्य से एक उद्धरण को आप के सामने रखता :

"यह बात समझ में नहीं आती है कि भारत के लिए भाखड़ा बांध का अन्य बांधों की अपेक्षा, जो कि विभिन्न राज्यों में बनाये जा रहे हैं, अधिक महत्व कैसे है । न ही यह बात किसी राज्य के राजनैतिक ढांचे के विषय में संगत है । यह याद रखी जानी चाहिये कि यह राज्य हैदराबाद समेत भारत के सब राज्यों से बुरा है । अन्य नरेशों की तुलना में बिलासपुर का नरेश सब से अधिक बदनाम है" इस के अलावा आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस की स्टैन्डिंग कमेटी ने, जिस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में बिलासपुर स्टेट के नरेश की एक्टिविटीज़ को Sadistic perversity कहा और वहां यह आदेश दिया गया बतलाते हैं कि बिलासपुर में जय हिन्द कहने के लिये यह आदेश था कि अगर कोई जय हिन्द कहे तो उस की जबान काट ली जाय . . . . . .

श्री आनन्दचन्द : यह झूट है ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला कानपुर दक्षिण और ज़िला इटावा-पूर्व) : यह बात सच है ।

श्री राधेलाल व्यास : यह कहां तक झूठ या सच है यह स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते हैं कि जब उन्हों ने वृषभान जी को आप के निमंत्रण पर बिलासपुर में इनक्वायरी करने के लिये भेजा था तो क्या परिणाम हुआ था ? वृषभान जी आप के राज्य में दाख़िल नहीं हो सके थे उन पर यह आर्डर सर्व किया गया था कि वह आप के राज्य में न प्रवेश कर सकें ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : इस का क्या जवाब है ?

पंडित बालकृष्ण शर्मा : चुप जवाब है ।

श्री राधेलाल व्यास : इस के अलावा मैं और भी बातें आप को बतलाऊं कि सन् ४७

में जिस वक्त कि देशी रियासतों के नरेश हिन्दुस्तान में शामिल होने और रहने का फ़ैसला कर रहे थे उस समय पंजाब स्टेट्स के रूलर्स की एक मीटिंग बिलासपुर में हुई और उस मीटिंग में शरीक़ हुए एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई है और उन्हों ने मुझे बताया है कि उस मीटिंग में बिलासपुर नरेश ने यह प्रस्ताव रखा था कि : "यदि भारत सरकार बराबरी के स्तर पर हम से बातचीत करने के लिए तैयार हो, तो हमें बातचीत करनी चाहिये ।" हम इस प्रकार बातचीत करने के लिए.....

श्री आनन्दचन्द : क्या यह सब संगत है ?

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : क्या क़रार से पहले का कोई विषय संगत है ?

डा० सुरेश चन्द्र : नरेशों की मनोवृत्ति; इस दृष्टिकोण से यह संगत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । नरेश अब नहीं है । यह एक भाग 'ग' राज्य है । नरेश निस्सन्देह लोगों का प्रतिनिधि है । वह यहां नरेश के रूप में नहीं बोले हैं । माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि लोगों की राय नहीं ली गई है, जो कि गलत बात है और अन्य उपबन्ध नहीं किये गये हैं । परन्तु पिछले इतिहास में जाने और नरेशों को बुरा भला कहने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि १९४७ में क्या स्थिति थी । वह बिलासपुर को एक अलग राज्य की हैसियत में रखना चाहते थे । उस प्रिंसली कांफ्रेंस में यह इच्छा प्रकट की गई थी कि अगर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया नेगोशियेट करने को तैयार हो तो हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिये तैयार रहना चाहिये । मेरे पास अभिलेख हैं और मैं उन को पढ़ कर सुना सकता हूं । ३१ दिसम्बर, १९४७ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा था कि वायसराय का यह मत था कि नरेशों को मुस्लिम लीग के साथ मिलने में लाभ है, और यदि अंगरेजों के बाद कोई निर्बल सरकार बनती है, तो नरेश अपने अपने प्रदेशों को बढ़ा सकते हैं । तथा 'इन्डियन न्यूज क्रानिकल' में छपा था कि बिलासपुर नरेश सर कोर्न कोरफील्ड के विचारों के पक्के समर्थक हैं ।

तो मैं बतला रहा था कि उस के बाद भी वहां पर क्या परिस्थिति रही और क्या हलचलें रहीं । आपने बतलाया कि वहां की जनता की राय नहीं ली गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब उस के पाकिस्तान में चले जाने का डर है ?

श्री राधेलाल व्यास : कुछ लोगों के मन में डर है कि यदि अवसर दिया गया, तो वह अवश्य पाकिस्तान में चला जायेगा ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बिलासपुर को अलाहिदा रखने का शुरू से ही ख्याल था । इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन पर जब हस्ताक्षर किये गये तो स्टेट मिनिस्ट्री ने यह स्वीकार किया था कि वह रियासत अलग रहेगी लेकिन बिलासपुर के नरेश पहले चीफ़ कमिश्नर बनाये जायगे । स्टेट मिनिस्टर साहब अपने यहां की फाइलों को देखें । उस समय बिलासपुर की जनता ने वहां के नरेश के चीफ़ कमिश्नर बनाने पर कितना विरोध किया था । कई टैलीग्राम उन के दफ्तर में आये थे । उन को वह देखें । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि शुरू ही से स्टेट मिनिस्ट्री ने बिलासपुर नरेश के साथ रियायत की है और वहां की प्रजा की रियायत के लिए कोई क़दम नहीं उठाया । इसके पहले की मिसाल में आप को देता हूं । अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट मिनिस्ट्री बीच में न आते तो बिलासपुर की जनता वही कर लेती जैसा कि हिमाचल प्रदेश की जनता

[श्री राधेलाल व्यास]

ने किया । मेरे पास साकेत की मिसाल है । वहां की जनता ने हिमाचल प्रदेश में एक प्रोवीज़नल गवर्नमेंट क़ायम कर दी थी और साकेत पर हमला कर के राज्य का झंडा फहरा दिया था । आठ नौ दिन तक साकेत पर वहां की जनता का राज्य रहा और अगर स्टेट मिनिस्ट्री ने उन्हें न रोका होता तो वे सारे हिमाचल प्रदेश पर कब्ज़ा कर लेते और वहां के प्रिंसली आर्डर को खत्म कर देते । लेकिन प्रजा की लड़ाई को रोक कर जो स्टेट मिनिस्ट्री ने प्रिंसली आर्डर के साथ रियायतें की हैं इस की मुझे शिकायत है । आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि स्टेट मिनिस्ट्री के जो अफ़सर थे उन्हों ने बिलासपुर के साथ कितनी रियायत की । मैं वहां गया । मुझे कुछ चीज़ें देख कर आश्चर्य हुआ । वहां लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई इमारत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बिल्डिंग एक रुपया किराये पर क्लब के लिए महारानी साहिबा को दी गयी है । बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है । सुबह से धूप निकलती है जिस में बच्चों का बैठना बहुत मुश्किल होता है । लेकिन बच्चों के आराम पर ध्यान न दे कर एक रुपया महीना में महारानी साहिबा को यह इमारत दी गयी है । यदि यह अब रद्द कर दी गई है, तो लोग इस का स्वागत करेंगे ।

ऐसी एक ही मिसाल नहीं है । मैं आप को कई मिसालें दे सकता हूं । हरिद्वार में कई धर्मशालायें और ज़मीनें राजा साहब को दी गयी हैं । अगर बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश से मर्जर हो जाता है तो वह उन को नहीं मिल सकती थीं । स्टेट मिनिस्ट्री के अफसरों ने ये रियायतें उन के साथ की हैं । आप को ताज्जुब होगा कि स्टेट मिनिस्ट्री ने उन से आर्म्स एंड एम्युनिशन की लिस्ट मांगी लेकिन कोई लिस्ट अभी तक नहीं दी गयी है । अभी तक स्टेट मिनिस्ट्री उन को हथियारों के क़ानून पर अमल नहीं करवा सकी है ।

अब जहां तक लोगों की राय का सवाल है, मैं ने बतलाया कि चीफ़ कमिश्नर के मामले पर उन की क्या राय थी । अभी राजा साहब ने बिलासपुर की सिविल लिबर्टी की बातें कहीं । लेकिन आज भी वहां पूरी सिविल लिबर्टी नहीं है । वहां के लोग समझते हैं कि हिन्दुस्तान तो स्वतन्त्र हो गया मगर बिलासपुर अभी पराधीन है और वह महाराजा का राज्य है । वह छोटी सी स्टेट है और उस में सरकारी मुलाजिमों का तबादला नहीं होता और सेक्रेटरी, पुलिस इंस्पेक्टर आदि को वहीं रहना पड़ता है और उन पर बड़ी बड़ी शक्तियों का दबाव पड़ता है और उन से लाभ उठाने की कोशिश की जाती है । पहले तो वहां पबलिक मीटिंग भी नहीं हो सकती थी । अब तो हो जाती है । गवर्नमेंट जो बिल लायी है वहां की पबलिक उस के साथ है । जनता में से ४२ हज़ार आदमियों के दस्तखत की बात यहां पर कही जाती है । वहां की कुल आबादी १,२६,००० है । उन में से ४२,००० के दस्तखत कैसे हो सकते हैं यह कल्पना करने की बात है । वहां लिटरेसी बहुत कम है और वहां के रास्ते बड़े दुर्गम हैं । ऐसी हालत में वहां के सारे बालिग़ स्त्री पुरुष दस्तखत कर दें यह बात कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं होगा । इस में बहुत कुछ ग़लत मालूम होते हैं । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात की इन्क्वायरी करे कि यह जो हाउस के सामने ४२,००० हस्ताक्षर रखे गये हैं यह ग़लत हैं या ठीक हैं । हाउस को कोई ग़लत इत्तला नहीं दे सकता है और अगर देता है तो वह हाउस की कंटैम्प्ट है और इसलिये हाउस को इस की जांच कराने की कार्यवाई करनी चाहिये । जब वहां कांग्रेस की तरफ़ से या दूसरी संस्थाओं की तरफ़ से मीटिंग होती है तो उस रोज़ वहां जो एक सिनेमाघर है उस के टिकट फ्री हो जाते हैं । वह महाराजा का सिनेमाघर है । लेकिन जब

महाराजा साहब के प्रचार के लिए मीटिंग होती है तो वह सिनेमाघर बन्द कर दिया जाता है ताकि कोई आदमी वहां न जा सके। यह वहां की स्थिति है। अगर कांग्रेस की मीटिंग होती है तो हुल्लड़ करने की कोशिश की जाती है। यह वही लोग करते हैं जिन को महाराजा की तरफ़ से लाउड स्पीकर दिये गये हैं और दूसरा इक्विपमेंट दिया गया है। और यह लोग महाराजा के पेड एजेंट्स की तरह से काम करते हैं। यह स्थिति वहां पर है। वहां के लोगों की राय के बारे में मैं बतलाऊं कि वहां कांग्रेस है, वहां जमैयतउल उलेमा हिन्द है वहां पर सोशलिस्ट पार्टी है। आप देखिये कि वे क्या कहते हैं। उन के तार होम मिनिस्टर साहब के सामने हैं और उन का समर्थन काउंसिल आफ स्टेट्स में भी हुआ है। वहां के एक प्रतिनिधि श्री सी० एल० वर्मा ने वहां के लोगों की राय पढ़ कर सुनायी थी। मैं खुद भी वहां गया हूं और मुझे वहां की प्रतिनिधि संस्थाओं से मालूम हुआ है कि बिलासपुर को एक इकाई के रूप में न रखा जाय बल्कि हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाय ताकि जो वहां के सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाल कर न्याय के विरुद्ध आचरण करने की व्यवस्था चल रही है उस को खत्म किया जाय और उन पर कंट्रोल हो सके। साथ ही जो यहां दिल्ली में आ कर अफ़सरों से मिल जुल कर कार्यवाही होती है इस का भी अन्त वहां की जनता चाहती है। इसलिये वे लोग चाहते हैं कि बिलासपुर जल्दी ही मर्ज कर दिया जाय। तो यह वहां की स्थिति मैं ने आप के सामने रखी।

दूसरी बात जिस पर जोर दिया गया वह यह थी कि एग्रीमैंट में यह तै हुआ था कि बिलासपुर को अलग स्टेट रखा जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ौदा को भी अलग रखना तै हुआ था। और विन्ध्य प्रदेश को पार्ट 'बी' स्टेट के रूप में रखना तै हुआ था। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि न तो बड़ौदा अलग राज्य रह सका और न विन्ध्य प्रदेश ही पार्ट 'बी' स्टेट बन सका, बल्कि पार्ट 'सी' स्टेट बना। जो एग्रीमेंट है उस की यह स्पिरिट है कि उस को जारी रखा जाय। उस में यह नहीं है कि वहां की जनता को अपने ऊपर शासन करने का अवसर न दिया जाय। आज वहां चीफ कमिश्नर का राज्य है और वहां की जनता के प्रतिनिधियों को जो शिकायतें हैं उन को दूर करने का कोई साधन नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो अब तक देर लगायी है वह बहुत ज्यादा है और वहां की जनता को अपने हक़ूक से महरूम रखा है। मैं समझता हूं कि चाहे देर से ही सही लेकिन जो यह बिल आया है वह वहां की जनता के हित में है और वहां की जनता इस का स्वागत करती है।

इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पून्नूस : बिलासपुर को उस समय भाग 'ग' राज्य बनाने की क्या आवश्यकता थी, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। और दूसरे इसे इसी समय क्यों तोड़ना चाहिये, यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई है।

हम ने कई बार कहा है कि यह नरेश बुरे आदमी हैं और इन्हें कोई स्थान नहीं देना चाहिये। अब राज्य-मंत्री को उत्तर देना चाहिये कि उन्हों ने क्यों इन जनता के शत्रुओं को स्थान दिया। १९४७ के पश्चात, सब क़रारों में केवल जनता से परामर्श लिया जाना चाहिये था। किन्तु जिन लोगों से परामर्श नहीं लिया जाना चाहिये था, उन पर विश्वास किया गया, और अब वही आप के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री व्यास के मन में बिलासपुर के मान का प्रश्न बार बार आता था। मैं उस से सहमत नहीं हूं। इसे पंजाब में मिलाया जाय, या

[श्री पुन्नूस]

हिमाचल प्रदेश में, इस के लिये वहां की जनता का मत ज्ञात किया जाना चाहिये । मेरे मित्र ने कहा है कि ४२,००० लोगों ने हस्ताक्षर कर के अभियाचना प्रस्तुत की थी । यदि इस प्रकार की अभियाचना की गई थी, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये था ।

जब यह बांध तैयार हो जायेगा, तो १७,००० लोग बेघर हो जायंगे, तो क्या इन को बसाने के लिये स्थान दिया जायेगा ? क्या आप उन को मुआवजा देंगे ? यदि वे हिमाचल प्रदेश की बजाय पंजाब में भूमि लेना चाहेंगे, तो क्या ऐसा करना संभव होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर दिये बिना इस विधेयक पर हम कैसे विचार कर सकते हैं ? इस के अतिरिक्त भाषा का प्रश्न भी गम्भीर है । वे कहते हैं कि वहां की भाषा पंजाब की भाषा के समान है । यदि इस बिलासपुर के प्रश्न को राज्य पुनर्संगठन आयोग के प्रतिवेदन तक निलंबित रखा जाये, तो क्या सारे देश पर या बिलासपुर पर कोई महान विपत्ति टूट पड़ेगी ? सरकार को इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् कोई निर्णय करना चाहिये । संसद् को यह बात सब को जता देनी चाहिये कि हिमाचल प्रदेश में विलीन होने के परिणामस्वरूप, इस के लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी । इसलिये मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को कुछ महीनों के लिये निलम्बित रखें, जब तक कि आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हो जाता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : हमारा दल, गणतंत्र राज्य के अन्दर विभिन्न एककों की एकरूपता में विश्वास रखता है, और हम हमेशा इस बात का समर्थन करते रहे हैं । भाग (ग) के राज्य परावलम्बी होने के कारण भारत में राजनैतिक प्रतिक्रिया के साधन बन गये हैं । ये राष्ट्र का एक रोग है, जिस का इलाज होना चाहिये । एक विदेशी ने भी कहा है कि भारत में ये भाग (ग) राज्य उपनिवेशवाद के प्रतीक हैं । इसलिये इन्हें अधिक समय तक नहीं रखना चाहिये । इन के उन्मूलन के लिये की गई कार्यवाही का स्वागत किया जाता है । सरकार को इस प्रणाली पर समूल विचार करना चाहिये । हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, यद्यपि यह देरी से रखा गया है ।

बिलासपुर के एक सदस्य ने कहा है कि वहां जनमत नहीं लिया गया है । क्या हमें गोआ, या पाण्डीचेरी के सम्बन्ध में भी जनमत लेना चाहिये ? क्योंकि वे लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं और हमारे ही अंग हैं, इसलिये जनमत पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस काम के लिये जांच समिति भी अनिवार्य नहीं है । ये छोटे राज्य अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते हैं, अतः बिलासपुर का विलीनीकरण ठीक है । इस विधेयक का उद्देश्य सुस्पष्ट है, इसलिये हमें राज्य पुनर्संगठन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । हम एकमत से सब भाग (ग) राज्यों का उन्मूलन करना चाहते हैं । मैं तो यह भी कहूंगा कि राज्य पुनर्संगठन समिति बनाने की बजाये सरकार स्वेच्छा से ही यह काम कर सकती थी । मुझे आशा है कि सदन इस बात का समर्थन करेगा कि ये छोटे राज्य नहीं रहने चाहियें ।

डा० काटजू : मैं इतिहास का वर्णन नहीं करना चाहता हूं और न ही श्री व्यास द्वारा वर्णित कार्यवाहियों का निर्देश करना चाहता हूं । इस के कुछ अंश पढ़ने योग्य नहीं हैं । किन्तु सब पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भाखड़ा नांगल परियोजना के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के कारण जब हम बिलासपुर

के लोगों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिये उत्सुक थे, वहां की स्थिति अधिकाधिक कठिन और असन्तोषजनक होती जा रही थी ।

इस प्रश्न पर १९५१ और १९५२ में विचार किया गया था, और इस के विषय में एक सम्मेलन भी हुआ था । सम्मेलन के होने से पूर्व जब यह समाचार चारों ओर फैला तो आश्चर्यजनक बात यह थी कि चारों ओर से बहुत से अभ्यावेदन आये जिन्हों ने शीघ्र ही राजनैतिक चेतना उत्पन्न की, और बड़े तर्क-पूर्ण प्रार्थनापत्रों पर हस्ताक्षर कराये गये । इस से पता चलता था कि बिलासपुर का प्रत्येक व्यक्ति, वहां क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये, इस विषय में पूर्ण सचेत था । माननीय मित्र का अवश्य ही बहुत प्रभाव है । मैं इसपर उन को बधाई देना चाहता हूं और लोग संभवतः उन से प्रेम भी करते हैं, और इसलिये लोग उन के प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं । जब वह अपनी जीप में, अपने सम्बन्धियों के साथ, उन के पास जायेंगे तो सब लोग वहीं हस्ताक्षर कर देंगे । इसलिये मैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसे बनाये गये प्रार्थनापत्रों को बहुत कम महत्व देता हूं । निर्णय, अगस्त १९५२ में, किया गया था, जब प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया था, और वह इस विषय में अच्छी तरह जानते हैं । क्योंकि वह ४२,००० हस्ताक्षरों के साथ उन प्रार्थनापत्रों को भेज रहे थे, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि बिलासपुर के प्रत्येक व्यक्ति को इस का पता था, कि यह बात हो रही है । पिछले वर्ष हम ने संविधान के अधीन केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य का प्रबन्ध करने के लिये एक उपराज्यपाल नियुक्त किया, और उस ने वहां की स्थिति बहुत कठिन अनुभव की, कि छोटे सरकारी कर्मचारी प्रभाव के नीचे काम करते थे, इत्यादि । इसलिये इस विधेयक को प्रस्तुत करना पड़ा । मेरे मित्र ने कहा है कि इस विधेयक का निर्देश राज्य पुनर्संगठन आयोग को किया जाना चाहिये । हम ने इस प्रश्न के प्रत्येक पहलू पर विचार कर लिया है——सांस्कृतिक मेल-जोल, पहाड़ी लोग, इत्यादि सभी पर पूर्ण विचार किया गया है । यदि राज्य पुनर्संगठन आयोग, विभिन्न मामलों पर विचार करने के उपरान्त, हिमाचल प्रदेश या पंजाब के विषय में कोई सिफारिश करता है, तब ऐसा होगा, अन्यथा, १२५,००० जनसंख्या का यह छोटा सा राज्य अपने पैरों पर स्थायी रूप से खड़ा नहीं रह सकता है । इस का क्षेत्रफल लगभग ४५० वर्गमील है, जिस में आधा क्षेत्रफल पानी में डूब जायेगा । तब लगभग २२५ वर्गमील बचेगा, और उस की अवस्था अस्थिर रहेगी । यह खड़ा नहीं रह सकता है, और प्रशासनिक कठिनाइयां बहुत अधिक हो जायेंगी । मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं कि राज्य अपना काम नहीं चला सकता है । मुख्य आयुक्त, न्यायिक आयुक्त, सचिववृन्द, उपसचिववृन्द, विभागों के मुख्याधिकारियों आदि को रखने में बहुत व्यय होता है । श्री मोरे ने उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की बात कही है और उन्हों ने कुछ धाराओं का निर्देश किया है । संविधान के अनुच्छेद कई बार इतने व्यापक होते हैं कि जब तक आप उन को बहुत ध्यानपूर्वक न पढ़ें आप सरलता से विषय सम्बन्धी बात को छोड़ जायेंगे । उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा निदेश के लिये अनुच्छेद २९१ का हवाला दिया । परन्तु अनुच्छेद २९१ राज्यों के एकीकरण तथा उन के राज्य क्षेत्रों से बिलकुल सम्बन्धित नहीं है । उस का सम्बन्ध केवल शासकों की निजी थैली से है । राष्ट्रपति केवल निजी थैली के विषय में ही निर्देश कर सकते केवल वही चीज़ प्रत्याभूत है । जब शासकों ने एकीकरण को स्वीकार किया, तो उन्हें अपनी निजी थैलियों, अपने निजी सम्मानों, हथियार रखने आदि के विषय में एक प्रत्याभूति प्राप्त हुई थी ।

[श्री काटजू]

मैं समझता हूं कि इस विधान के द्वारा लोगों को बहुत लाभ होगा । वे एक बृहत्तर इकाई के अंग बन जायेंगे, उन के साथ अच्छा न्याय होगा और उन्हें एक विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जायेगा । जैसा कि विधेयक से स्पष्ट है, उन्हें पांच स्थान प्राप्त होंगे--चार सामान्य स्थान और एक रक्षित स्थान । अभी तक वह एक मुख्य आयुक्त के अधीन थे और उन की अपनी कोई आवाज़ नहीं थी ।

अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के वर्तमान राज्यों को मिला कर नये हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्माण का, और उस से सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य परिषद द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द चन्द के कुछ संशोधन हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि मुझे सभी खण्ड एक साथ रखने होंगे । इन संशोधनों के लिये अब समय नहीं है ।

खण्ड १ से ३२ तक विधेयक में जोड़ लिये गये ।

शीर्षक विधेयक में जोड़ लिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ १ में पंक्ति १ के स्थान पर Be it enacted by Parliament in the fifth year of our Republic as follows :— ["हमारे गणतंत्र के पांचवें वर्ष में संसद इसे अधिनियमित करे :—"] रखा जाये "

मैं ने जिस नये सूत्र का सुझाव दिया है, वह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि हम अपने प्रत्येक अधिनियम में गणतंत्र के उस वर्ष का उल्लेख करना चाहिये जब कि विधेयक पारित हुआ हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लंका सुन्दरम् का संशोधन यह है कि उक्त प्रस्ताव में "our Republic" ["हमारे गणतन्त्र"] के स्थान पर "The Republic ["गणतन्त्र"]" रखा जाये ।

डा० काटजू : सब से अच्छी चीज़ यह होगी, कि इस स्थान पर "The Republic of India" ["भारत गणतन्त्र"] रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १ में पंक्ति १ के स्थान पर यह रखा जाये :

"Be it enacted by Parliament in the fifth year of the Republic of India as follows :—" ["भारत गणतन्त्र के पांचवें वर्ष में संसद यह अधिनियमित करे :—"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि पुनर्संगठन आयोग इस मामले पर फिर से विचार करेगा । पंजाब सरकार चाहती है कि यह क्षेत्र उसे दे दिया जाय । यह केवल एक अस्थायी प्रबन्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह औपचारिक संशोधन है । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कुछ विधियों का, खासी और जयन्तिया पहाड़ी जिलों में लागू विधियों में आत्मसात करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय ।"

यह एक बिलकुल औपचारिक विधान है । इस को राज्य-परिषद् ने बिना किसी वाद-विवाद के पारित कर दिया था । मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही इस सदन में भी होगा ।

संविधान के बन जाने पर आसाम में कुछ जिले बनाये गये थे । उन जिलों में, शिलांग नगरपालिका का एक क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया था । उस को एक गैर-आदिम जाति क्षेत्र माना गया था । अब उसे उस जिले में मिला लिया गया है और आसाम सरकार ने राज्य सूची की विधियों को उस क्षेत्र पर लागू कर दिया है । ऐसी परिस्थिति में यह विधेयक यह उपबन्धित करता है कि उस क्षेत्र विशेष पर संघ विधियां भी लागू की जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कुछ विधियों का, खासी और जयन्तिया पहाड़ी जिलों में लागू विधियों में आत्मसात करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है ।

खण्ड १ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

डा० काटजू : इस सम्बन्ध में एक औपचारिक संशोधन है । पृष्ठ १ में पंक्ति १ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"Be it enacted by Parliament in the fifth year of the Republic of India as follows:" ["भारत गणतन्त्र के पांचवें वर्ष में संसद् यह अधिनियमित करें :"]

अधिनियम सूत्र : संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : इस विधेयक के पारित होने से पूर्व मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस मामले में खासी और जयन्तिया पहाड़ियों की जिला परिषद् से परामर्श किया जायेगा ?

डा० काटजू : जी हां, मेरा ऐसा अनुमान है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को श्री ए० एम० टामस, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री रामानन्द दास, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री ए० इब्राहीम, श्री रामधनी दास, श्री एम० के० शिवनंजप्पा, श्री सी० आर० इय्युनी, श्री भीखाभाई, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब, चौधरी रघुबीर सिंह, श्री बुलाकी राम वर्मा, डा० एम० वी० गंगाधर शिव, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, श्री यू० आर० बोंगावत, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल धोलकिया, श्री एस० सी० देव, श्री एम० मुत्तुकृष्णन, श्री बलवन्तसिंह महता, श्री आई० ईयाचरण, श्री सोहनलाल धूसिया, श्री एन० सी० गोविन्दस्वामी काचिरोयर, डा० नटवर पाण्डे, श्री आर० वेलायुधन, श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़, श्री नेट्टूर पी० दामोदरन, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री मंगलगिरि नानादास, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री डी० पी० करमरकर तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय ।"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

संशोधक विधेयक १९५२ में पुरःस्थापित किया गया था और तब से स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है । विधेयक का प्रयोजन अपेक्षाकृत साधारण है । बोर्ड जितना प्रभावशाली आजकल है, उसे उस से अधिक प्रभावशाली बनाने का विचार है । संक्षेप में इस बोर्ड का इतिहास इस प्रकार है । विश्वयुद्ध से पूर्व के वर्षों में पूर्व में रबड़ उद्योग के सामने अधिक उत्पादन की समस्या होने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ विनियमन नियंत्रण लागू था और दक्षिण-पूर्व एशिया पर जापानियों का अधिपत्य हो जाने से रबड़ की प्रदाय का मुख्य साधन बन्द हो गया और रबड़ एक दुर्लभ वस्तु हो गई । पूर्व में भारत और लंका ही रबड़ के संभरण कर्ता देश थे । रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के इरादे से, अभिरुचि रखने वाली राज्य सरकारों के परामर्श करने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रबड़ नियंत्रण तथा उत्पादन आदेश, १९४२ जारी किया था । त्रावनकोर-कोचीन और मैसूर राज्यों में भी एक वैसा ही विधान पारित

किया गया। इस आदेश के अधीन भारतीय रबड़ उत्पादन बोर्ड बनाया गया था। सारी रबड़ केन्द्रीय सरकार अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित पार्टियों के हाथ सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किये जाने वाले मूल्यों पर बेचनी पड़ती थी। सरकार द्वारा कच्ची रबड़ का यह एकाधिकार क्रय ३०-४-१९४६ को समाप्त हो गया। और ३०-९-१९४६ को भारतीय रबड़ नियंत्रण तथा उत्पादन आदेश व्ययगत हो गया। इस आदेश के अधीन बनाया गया बोर्ड छै महीने बाद समाप्त हो गया। भारत सरकार ने दिसम्बर १९४५ में रबड़ उत्पादन उद्योग के हितों की देखभाल के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता पर विचार करने के हेतु रबड़ उत्पादकों का एक सम्मेलन किया इस सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम, १९४७, पारित किया और इसी के अधीन वर्तमान रबड़ बोर्ड बना था। इस बोर्ड के काम वैज्ञानिक तथा प्रविधिक गवेषणा करना उत्पादकों को प्रविधिक सहायता देना, देशी रबड़ की किस्मों को सुधारना, आंकड़ों का जमा करना और रबड़ से सम्बन्धित सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना थे। उस अधिनियम में देशी रबड़ के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था थी। १९४७ से रबड़ का मूल्य विधान द्वारा निश्चित किया जाता रहा है और मूल्य में बाद में संशोधन किया गया था। लगभग चार वर्षों तक मूल्य एक सा ही रहा। १९५१ और फिर १९५२ में उसमें संशोधन किया गया। उन दिनों मूल्य निर्धारण रबड़ उत्पादको के हितों के अनुकूल नहीं होता था। बाद से रबड़ का मूल्य बढ़ता रहा है पहले भारतीय रबड़ उत्पादकों को अपेक्षाकृत बहुत कम दाम मिलते थे--केवल १३ आने प्रति पौंड। बाद में प्रशुल्क आयोग ने उस में वृद्धि की। वह वृद्धि भी अपर्याप्त पाई गई, अतः १९५२ में मूल्य को बढ़ा कर एक रुपया छै आने प्रति पौंड कर दिया गया। आजकल रबड़ का भाव १३८ रुपये फ़ी १०० पौंड है। हमारे रबड़ के मूल्य बढ़ाने के साथ ही साथ रबड़ का विश्व व्यापी मूल्य गिर गया। इसी बीच लंका ने चीन को लगभग १५५ रुपये के भाव पर रबड़ बेचने का प्रबन्ध किया। जहां तक रबड़ उत्पादन का सम्बन्ध है, बहुत दिनों से हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रबड़ का आयात करना पड़ा है। वर्ष प्रति वर्ष हमारा रबड़ का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष हमारा रबड़ का उत्पादन २१,१३६ टन था, और उस की खपत २२,२०० टन के लगभग थी। दूसरे शब्दों में हमारी रबड़ की खपत हमारे उत्पादन से लगभग १,००० टन अधिक थी। वर्तमान स्थिति यह है। रबड़ की खपत का भविष्य काफी अच्छा है। गत चार महीनों में टायर उद्योग में रबड़ की खपत काफी अधिक रही है। परिस्थितियों को देखते हुए मेरा अनुमान है कि चालू वर्ष में हमारी रबड़ की खपत लगभग २५,००० टन के लग भग पहुंच जायेगी। यदि हमारा उत्पादन २१,१३६ टन से अधिक नहीं होता है, तो हमें कुछ रबड़ आयात करनी पड़ेगी और इस का औद्योगिक क्षेत्र स्वागत करेंगे क्योंकि आजकल के भावों पर, वे मलाया से सस्ती रबड़ प्राप्त कर सकते हैं।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री श्री करमरकर ने यह कहा था कि रबड़ के मामले में हम लोग न्यूनाधिक आत्म निर्भरता प्राप्त कर चुके हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सच बात तो यह है कि मैं "आत्म निर्भरता" शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो आज आत्म निर्भर है वह कल आत्म निर्भर नहीं रह जाता है। इस के स्थान पर मैं तो 'स्वाव-

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

लम्बन' शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। स्वावलम्बन का अर्थ है, कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिये बहुत हद तक अपने उत्पादन पर ही निर्भर रहें। कदाचित मेरे माननीय सहयोगी यह कहना चाहते हैं, कि हमारी स्थिति ख़राब होती जा रही है।

जब आप २२,००० टन की बात करते हैं तो लगभग १,१०० टन का अन्तर होता है और लगभग चार प्रतिशत की कमी होती है। अतः 'आत्म निर्भर' शब्द का प्रयोग करने की अपेक्षा मैं स्वावलम्बी शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा।

कमियों तथा भूलों के होते हुए भी पिछले डेढ़ वर्षों में रबड़ उद्योग के हितों की हम ने अच्छी तरह से रक्षा की है। प्रतियोगिता रहित बाज़ार के कारण रबड़ उत्पादकों को विश्व व्यापी बाज़ार के मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य देने की व्यवस्था करने में हम समर्थ हुए हैं। आयात पर नियंत्रण रखने में हमें सफलता मिली है। मैं मानता हूं, और पश्चिमी किनारे के मित्र भी इस बात का समर्थन करेंगे कि हम ने रबड़ का मूल्य एक पया छै आने निश्चित तो कर दिया था किन्तु सभी उत्पादकों को यह मूल्य मिल नहीं सका। मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ है। यह मध्य जन का काम है, उस के पास धन है, उस का अपना संगठन है, छोटे छोटे उत्पादकों से वह उपज को एकत्रित कर लेता है और इकटठा करके रख लेता है, और उन से ये उद्योगपति खरीदते हैं और इस मध्यजन को मूल्य मिल जाता है। उन को ऊंचा दाम मिलता है। जब स्टॉक कम होता है तो उन्हें एक रुपया छै आना मिलता है और अधिक होने पर एक रुपया पांच आना; किन्तु उत्पादकों को तो एक रुपया दो आना या एक रुपया तीन आना ही मिलता है, किन्तु गत वर्षों की अपेक्षा उन्हें कम नहीं मिला है इसीलिये मैं कहता हूं कि रबड़ उत्पादकों की हम ने अच्छी सेवा की है।

छोटे छोटे बागानों की वर्तमान उत्पादन स्थिति से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। १९५१ में देखा गया कि जिस एकड़ में पहले २०० पौंड रबड़ उत्पन्न हुआ करती थी उस वर्ष उसी एकड़ में १,२०० पौंड हुई और मूल्य निर्धारित करते समय ४०० पौंड प्रति एकड़ का न्यूनतम औसत हम ने रखा था। इस से प्रकट होता है कि उस भूमि के स्वामी को, जो वास्तव में उत्पादन के लिये अच्छी है और जिन में १,२०० पौंड रबड़ प्रति एकड़ उत्पन्न होती है और ४०० पौंड न्यूनतम स्तर मान कर मूल्य निश्चित किया है ऐसी स्थिति में निश्चय ही काफ़ी लाभ हुआ होगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार की यदि एक एकड़ भूमि है तो उसे इस से काफ़ी लाभ होगा जो उस के लिए काफ़ी है। त्रावनकोर-कोचीन की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि यदि वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाय तो रबड़ से ही काफ़ी आय हो सकती है, और उन की रबड़ ऐसे किस्म की है जिस की हमें आवश्यकता है अतः वह क्षेत्र सम्पन्न है।

प्रतिवेदन में जो आंकड़े दिये गये हैं वह प्रति एकड़ के हिसाब से हैं। एक कठिनाई हमारे सामने है। एक रबड़ बोर्ड है, रबड़ उत्पादन आयुक्त भी है, किन्तु फिर भी छोटे छोटे उत्पादकों के लिए हम अधिक नहीं कर पाते हैं, जिस से कि वे रबड़ का उत्पादन अधिक से अधिक कर सकें और जो मूल्य हम ने निश्चित किया है उस का यथा संभव निकटतम मूल्य उन्हें मिल सके। रबड़ बोर्ड का विस्तार करने के लिए प्रत्येक १०० पौंड पर हम आठ आने लेते हैं। इस का कुछ भाग गवेषणा कार्य के लिए दिया जाता है। गवेषणा निधि में २,१३,००० रुपये से कुछ थोड़ा अधिक धन

है। अभी तक हम गवेषणाशाला की स्थापना नहीं कर सके हैं। इस का तात्पर्य यह है कि इन व्यक्तियों के लिए अभी बहुत कुछ किया जा सकता है जिसे कि हम कर नहीं पाये हैं। इस के न करने का सम्पूर्ण दायित्व हमारे ऊपर नहीं है किन्तु इतना अवश्य मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो साधन हैं, वह काफ़ी नहीं हैं। रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों ने जो कार्य किया है उस की मैं अप्रशंसा कर के उन के कार्य के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने रबड़ बोर्ड तथा मेरे बीच कुछ मनो-मालिन्य अथवा झगड़ा बताया है। उन्हें मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं मुंहफट आदमी हूं। कभी कभी मैं ऐसी बात कह देता हूं जिस का न कहना अच्छा होता। किन्तु हमारा सम्पूर्ण ध्येय यह है कि कुछ न कुछ करना चाहिये। वर्तमान स्थिति में काम की प्रगति के सम्बन्ध में ही असन्तोष प्रकट किया गया था बस यही बात थी। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये था क्योंकि बोर्ड ने अपने कार्य-क्षेत्र की सीमा तक कार्य किया है, और उस की सीमा कठोर है।

रबड़ उत्पादन आयुक्त कोई कार्य-पालिका से सम्बन्धित व्यक्ति नहीं है। प्रशिक्षण के नाते वह बड़ा अच्छा है। उस के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं करता है किन्तु उस की संगठन सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। वह अपने संगठन के अधिकारी हैं, किन्तु इस के लिये वह कर कुछ भी नहीं सकते हैं। अतः कार्यालय अधीक्षक के रूप में यहां से हमें कोई व्यक्ति भेजना है। मनुष्य की कार्यकुशलता बदलती रहती है। वह बहुत ही कार्यकुशल कार्यालय अधीक्षक हैं जो जानकारी देने में बहुत चतुर हैं। किन्तु वे कार्यक्षेत्र में वास्तव में नहीं जा सकते। पिछले वर्ष लगातार मैं ने यह प्रयत्न किया कि छोटे छोटे उत्पादकों को बाज़ार में उन की वस्तु के दाम अधिक दिलाने में यह रबड़ बोर्ड उन की सहायता करे किन्तु बोर्ड ने यह कह कर कि कोई संगठन नहीं है, अपनी असमर्थता दिखाई।

रबड़ बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष इस व्यवसाय में बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। रबड़ बोर्ड के लिए श्री कुरियन जोन ने बहुत कुछ किया किन्तु मेरी तरह वह भी बहुत ही मुंहफट हैं और विश्वास करते हैं कि वह ठीक हैं। जब इस प्रकार के दो व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं तो मनोमालिन्य होना स्वाभाविक है और हम में आपस में झड़पें हुईं। किन्तु मैं यह मानता हूं कि श्री कुरियन जोन ने रबड़ बोर्ड के लिए बहुत कुछ किया है। किन्तु एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कार्यालय में कर्मचारी न हो और अपना व्यवसाय करता हो, बोर्ड में अपना पूरा समय देना सम्भव नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष हमारे साथियों में से एक हैं और रबड़ बागान के सम्बन्ध में उन का ज्ञान अनूठा है, उन्होंने अपने इस अनूठे ज्ञान का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। उन्होंने अपने बागानों का संगठन कर के रबड़ को एक आकर्षक औद्योगिक वस्तु बना दिया है। मेरा विचार है कि श्री टामस जो पिछले ५–६ महीने से अस्वस्थ हैं, रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे लिये यही हितकर है कि हम एक ऐसा अध्यक्ष बनायें जो पूरे समय कार्य कर सके। अतः इस का प्रशासन पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तभी हो सकता है जब कि हम पूरे समय काम करने वाले अध्यक्ष की नियुक्ति करें जो इस के प्रशासन को भी देख सके। वही व्यक्ति रबड़ उत्पादन आयुक्त हो सकता है जो गवेषणा का भी काम संभाल सके। आठ आना के हिसाब से जो निधि हम इकट्ठी कर रहे हैं वह काफ़ी नहीं है।

यदि बागानों पर आप सरसरी निगाह डाल कर देखें तो आप को पता चलेगा कि यूरोपियन मालिकों के रबड बागानों में भारतीय

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मालिकों के बागानों की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है। वह बागान से तथा रबड़ के पेड़ से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यदि एक यूरोपीय स्वामी या निरीक्षक यह देखता है कि अमुक पेड़ से उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है तो वह उसे काट कर फैंक देगा किन्तु भारतीय उस पेड़ को उसी श्रद्धा से देखेगा जिस प्रकार कि वह गाय को देखता है। छोटे छोटे भारतीय उत्पादकों के लिए प्रत्येक पेड़ में आकर्षण है, वह उस में रुचि रखता है। वह उस वृक्ष को उखाड़कर नहीं फैंकेगा। किन्तु वह यह नहीं देखता कि इस वृक्ष से ही उत्पादन कम नहीं हो रहा है अपितु वह पड़ौसी वृक्षों के उत्पादन में भी रुकावट बनता है या उन पर अपना बुरा प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि हम इतने कार्यकुशल नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि ये बड़े बड़े यूरोपियन बागान मिले जुले बागान हैं। रबड़ के साथ साथ चाय, मसाले आदि का उत्पादन भी करते हैं। एक चीज़ के मूल्य में कमी आ जाने पर दूसरी वस्तुओं के मूल्य बागान को चलाने में उस की सहायता करते हैं। किन्तु छोटे छोटे स्वामी छोटे छोटे बागानों के कारण, जो या तो चाय पर ही या रबड़ पर ही निर्भर रहते हैं अधिक धन व्यय नहीं कर सकते हैं। मेरा विचार है कि इन छोटे छोटे बागानों को उन का फिर संगठन करने के लिए कुछ पुनर्वास भत्ता देकर हमें अपने व्यय में थोड़ी वृद्धि करनी चाहिये। इस के लिए हमें थोड़ा धन चाहिये। इस के लिए एक सुझाव यह है कि सरकार उपकर की एक ऊंची दर निर्धारित करे। उत्पादक की आय पर यह उपकर नहीं लगेगा। निर्धारित किये जाने वाले मूल्य में इसे जोड़ दिया जायेगा और उद्योगपतियों को यह देना होगा।

हो सकता है कि ऐसा करने से टायरों के मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाय; किन्तु मूल्य में भले ही वृद्धि हो जाय किन्तु एक ऐसा उद्योग स्थापित करना जो टायर बनाने वाले उद्योग को कच्चा माल दे सके अधिक वांछनीय है। मूल्य के सम्बन्ध में होने वाली विश्व व्यापी घटत बढ़त पर हमारी निर्भरता भले ही आज हमारे लिए लाभदायक हो किन्तु कल नहीं होगी। रबड़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि कच्चे माल के लिए विदेशी साधनों पर निर्भर रहना चाहे ऐसा करना कुछ समय के लिए लाभदायक क्यों न हो ठीक नहीं है क्योंकि आगे चल कर ऐसा नहीं होगा। अतः हमारे रबड़ उद्योग के विकास का प्रश्न एक आवश्यक प्रश्न है। मैं ने पहिले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि इस की खपत लगभग २५,००० टन होगी। निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता कि हमारा उत्पादन २२,००० टन से अधिक होगा। गत वर्ष इन दिनों हमारा कुल स्टॉक ९,५०० टन था। लगभग एक मास पूर्व यह कुल ६,८०० टन था। किन्तु कुछ उद्योगपतियों ने, जो रबड़ खरीदना चाहते हैं, आज मुझे बताया है कि बागान तथा बेचने वालों के स्टॉक को मिलाकर कुल २००० टन रबड़ उपलब्ध है। किन्तु वास्तव में तो वे एक साथ ५० टन से अधिक नहीं पा सकते हैं क्योंकि यह २००० टन का स्टॉक समस्त भारतवर्ष का है और जो भिन्न भिन्न स्थानों पर है। रबड़ का इतना कम स्टॉक होने के कारण आज हमारी स्थिति बड़ी खराब है; हमें रबड़ का कुछ निर्यात करना होगा। सदन को मैं यह आश्वासन देता हूं कि आयात के मामले में हम बड़ी सावधानी से काम लेंगे और हम केवल उतना ही आयात करेंगे जिस से कि रबड़ उत्पादकों के हितों को भविष्य में कोई हानि न हो। किन्तु इस से यह प्रकट हो जाता है कि रबड़ के उत्पादन क्षेत्र को तथा उस के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है एवं बागानों का ऐसा विकास करना है जिस से

कि उत्पादन बढ़े और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन हो। यदि मैं यह कहूं कि हमारी खपत भी काफ़ी बढ़े तो मैं समझता हूं कि अनुचित रूप से आशावादी नहीं हूं। टायरों की कम से कम खपत, एवं मोटरगाड़ियों की खरीद के आधार पर हम भविष्य में उन्नति करेंगे, एवं हमारे यहां मोटरों की संख्या बढ़ जायगी। परिवहन की समस्या भी अच्छी नहीं है। अतः यह संभव है कि आगामी ५–७ वर्षों में रबड़ की खपत में तीन चार हज़ार टन प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाये, और एक दिन वह आयेगा जब हमें ४०,००० टन रबड़ की आवश्यकता होगी। आजकल जितनी एकड़ भूमि में रबड़ का उत्पादन होता है, हो सकता है कि कुछ अंशों में, फिर से पौदे लगाकर, तथा वृक्षों से अधिक उत्पादन कराकर, यही भूमि उतना उत्पादन करने लगे; किन्तु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी यह आवश्यक है कि रबड़ उत्पादन करने वाली भूमि का विस्तार किया जाय।

रबड़ बोर्ड के पास कुछ और धन तथा एक प्रभावोत्पादक संगठन होना चाहिये जो रबड़ उत्पादक के लाभ का ध्यान रखे तथा उत्पादकों को और अधिक उत्पादन करने के लिये प्रेरित करे। योजना यह है कि बोर्ड का पुनर्संगठन किया जाये तथा एक सवेतन सभापति रखने का उपबन्ध किया जाये। एक और प्रश्न यह है कि उपकर की उच्चतम सीमा छै रुपये कर दी जाये। इस का अर्थ यह नहीं है कि हम उपकर को बढ़ा कर छै रुपये कर [गे। यदि हम एक रुपये से अधिक का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उपकर इतना ही रहेगा परन्तु जैसे जैसे हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती जायेगी तथा जब हम समझें कि उद्योग के लाभ के लिए अधिक रुपये खर्च करने की आवश्यकता है तो ऐसी दशा में हमारा विचार है कि उपकर को बढ़ा दिया जाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इन समस्याओं पर विचार करे। सारा तात्पर्य रबड़ उद्योग की उन्नति करना है। यदि अधिनियम का संशोधन कर के हम ऐसा करने में किसी प्रकार असमर्थ होते हैं तो मैं इस अधि को आवश्यकता के अनुसार फिर से बदलने के लिये तैयार रहूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मित्र जो पश्चिमी तट से आये हैं इस उद्योग की समस्याओं में बड़ी रुचि रखते हैं। पश्चिमी तट की अभी व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ जानता हूं। इसी लिये मैं भी इस में बहुत दिलचस्पी रखता हूं। मैं जानता हूं कि रबड़ तथा कुछ अन्य वस्तुयें पश्चिमी तट के साधारण व्यक्ति के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन का महत्व केवल अमीर आदमियों के ही लिये नहीं है। कहा जा सकता है कि चाय के उद्योग की तो हालत अच्छी है फिर मुख्य रूप से केवल चाय के ही लिये बागान जांच समिति नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी। परन्तु यह तो आवश्यक नहीं है कि चाय उद्योग की दशा हमेशा ही ऐसी रहे। और फिर यह कार्य तो समृद्धता के समय में ही किया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने विदेशी पूंजी की ओर संकेत किया था। विदेशी पूंजी में दो एक अच्छी बातें हैं परन्तु बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो अच्छी नहीं हैं उन में से एक यह भी है कि यह विदेशी पूंजी वाले अफसर हमारे विरुद्ध प्रचार करने लगते हैं। इस सम्बन्ध में एक बात जो हमारे लिये विचारणीय है वह यह है कि यदि विदेशी पूंजी चली जाये तो क्या हम इस के उत्तरदायित्व का भार ग्रहण कर सकते हैं; क्योंकि जहां तक इन बागानों का सम्बन्ध है विदेशियों ने इन का कार्य बड़ी निपुणता के साथ चलाया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन से सबक़ लें तथा उन्हीं के समान निपुण हो जायें। बहुधा ऐसा होता है कि चाय अथवा रबड़ के बगानों में योरुपियन असिस्टेण्ट तो इतनी मेहनत से काम करता है कि हैट लगा कर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

तथा ओवर कोट पहन कर वर्षा में भी उन स्थानों में खड़े रहते हैं जहां मज़दूर छाता लगाये काम करते होते हैं पर यदि कोई भारतीय असिस्टेन्ट होता है तो वह अपने को इतना बड़ा आदमी समझता है कि वर्षा में मज़दूरों के साथ खड़ा होना वह अपनी शान के खिलाफ़ समझता है। हमारे नवयुवक यदि सुपरवाइज़र बनना चाहते हों तो उन को वह सब जोखिम तथा कष्ट उठाने के लिये तय्यार रहना चाहिये जो उस स्थान पर काम करने वालों को उठाने पड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि बागान जांच समिति हमें बतायेगी कि इन सभी कठिनाइयों का हम किस प्रकार सामना करें। बड़े बड़े मसलों में हम बागान जांच समिति से सलाह लेते रहेंगे। हालांकि बागान जांच समिति चाय क़हवा तथा रबड़ इन सब के सम्बन्ध में विचार करेगी फिर भी जहां तक संगठनात्मक पहलू का सम्बन्ध है वह हमारी अधिक सहायता नहीं कर सकती हैं। हम को बहुत से संगठन सम्बन्धी सुधार करने हैं तथा हमें संगठन का विकास भी करना है। इस लिये मेरा विचार है कि बोर्ड के पुनर्संगठन के प्रश्न को स्थगित रखना ठीक नहीं है। मैं तो डेढ़ साल पहले ही यह कार्य करना चाहता था। बागान जांच समिति की रिपोर्ट वर्ष के अन्त तक तय्यार होगी। सात आठ मास का समय उस रिपोर्ट को ठीक करने में लग जायेगा। इस बीच हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये बहुत बड़े परिमाण में रबड़ आयात करना पड़ेगा। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला बहुत ही आवश्यक है। मैं प्रवर समिति का प्रस्ताव इसलिये रख रहा हूं कि इस मामले पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस के लिये तय्यार हूं कि प्रवर समिति इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की इच्छानुसार इस विधेयक का निरूपण करे परन्तु, प्रमुख रूप से प्रयत्न यही किया जाये कि स्थिति में सुधार हो, रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हो, तथा रबड़ के उत्पादन को कुछ और पैसा मिले। मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विीलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "इस विधेयक को ३० अप्रैल १९५५ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये"

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को एक वर्ष के लिये और टाल दिया जाये। मैं मानता हूं कि १९४७ के अधिनियम संख्या २४ में बहुत से दोष हैं। इसीलिये मेरा कहना है कि हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि यह अधिनियम कहां तक दोषपूर्ण है तथा इस के दोषों को किस प्रकार दूर करना चाहिये। इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी शिकायत यह है कि इस के द्वारा जितना मंत्रालय के महत्व को तथा कुछ व्यक्तिगत बातों को आगे लाने का प्रयत्न किया गया है उतना प्रयत्न इस अधिनियम को सुधारने का नहीं किया गया है। जब बागान जांचसमिति बागान उद्योग के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के लिये नियुक्त की जा चुकी है तो फिर अच्छा यही होगा कि इस मामले को एक वर्ष के लिये रोक दिया जाय जिस से कि समिति की सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक विधि बनाई जा सके। इस समिति के सभापति हैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के श्री पी० माधव मेनन आई० सी० एस० तथा उस के सदस्य हैं श्री के० जी० सिवस्वामी, तथा प्रोफेसर एन० पी० माथुर। १७ अप्रैल, १९५४ के आदेश से स्पष्ट है कि निर्देश पद बहुत ही व्यापक हैं—भारतीय तथा अभारतीय पूंजी का आंकना, उत्पादन के तरीकों की तथा लागत की जांच करना, धन

की व्यवस्था करने के तरीक़ों की जांच करना, उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए बिक्री के वर्तमान तरीकों की जांच करना तथा अग्रेतर प्रसार तथा विकास की संभाव्यताओं की जांच करना तथा इसी प्रकार के और विषय इस के निर्देश पदों में हैं।

आदेश के तीसरे भाग में समिति से कहा गया है कि वह सरकार को उत्पादक को उचित मूल्य दिलाने, बागानों को अपेक्षित धन की व्यवस्था करने में सहायता देने बिक्री की उचित व्यवस्था करने तथा बागान उद्योग का प्रसार तथा विकास करने के सम्बन्ध में भी अपनी सिफ़ारिशें दें ।

आदेश के चौथे भाग में समिति से कहा गया है कि रिपोर्ट एक वर्ष में दे दी जाये । यह समिति कोई विशेषज्ञ समिति तो नहीं है फिर भी इस की जांच इतनी व्यापक होगी कि सभी को इस से सन्तोष हो जायेगा ।

परन्तु इस विधेयक को इतनी जल्दी जल्दी क्यों पास कराया जा रहा है ? उद्देश्य था कारणों के विवरण से दो बातों का पता चलता है । एक तो यह कि अभी तक बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार में किसी प्रकार का समन्वय नहीं रहा है । इसी लिये अब सरकार बोर्ड तथा उद्योग दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये अधिक शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है । जितने भी संशोधनों के सुझाव दिये गये हैं वे सभी जो कुछ भी शक्ति बोर्ड के हाथ में है उसे बोर्ड के हाथ से छीन कर सरकार के हाथ में देना चाहते हैं ।

यदि आप वर्तमान विधेयक की धारा ११, १२, १३, २२३, २४ तथा २६ को देखें तो आप देखेंगे कि इन के द्वारा सरकार को बोर्ड तथा उद्योग दोनों को अपने नियंत्रण में रखने के लिये पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं ।

एक और बात कही गई है कि सरकार छोटे बागान वालों को अधिक सुविधायें देना चाहती है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो । इन दोनों बातों में क्या सम्बन्ध है मुझे पता नहीं है । फिर भी यदि कोई प्रयोग करना ही है तो एक वर्ष तक राह देखी जा सकती है । उस समय तक सरकार तथा सदन दोनों के सामने समिति की रिपोर्ट आ जायेगी । धारा १२ में अभी भी उपकर बढ़ाने का अधिकार मौजूद है, शर्त केवल इतनी है कि बोर्ड भी उसको आवश्यक समझे । तो जहां तक बोर्ड की ईमानदारी तथा काम में दिलचस्पी लेने का सम्बन्ध है स्वयं माननीय मंत्री उसकी खुद ही प्रशंसा कर चुके और न बोर्ड का वर्तमान संगठन ही ऐसा है कि वह विकास करने के लिये उपकर लगाये जाने की आवश्यकता को मानने से इन्कार करे । अभी हाल ही में हमने चाय बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया है । उसके बारे में माननीय मंत्री के जो विचार हैं वह देश की लोकतंत्रात्मक परम्पराओं के विरूद्ध हैं । माननीय मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों पर अपने ही आदमी नियुक्त करना चाहते हैं यहां तक कि नियंत्रक तथा बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति उनकी इच्छा के अनुसार हुई है ।

तिरूवांकुर कोचीन चाय बागान मालिकों का कोई भी प्रतिनिधि चाय बोर्ड में नहीं है कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि तो अवश्य है । चाय बोर्ड के नये संविधान में विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है । रबड़ बोर्ड तथा माननीय मंत्री में एक बार झगड़ा हुआ था । मैं देखता हूं कि उसी समय से तिरुवांकुर कोचीन के बारे में उनके विचार विकृत हो गये हैं । ठीक यही बात चाय अधिनियम में हुई थी, और वही बात रबड़ विधेयक में हो रही है और कहवा विधेयक में होने वाली है यदि

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

यह विधेयक ज्यों का त्यों प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है तो यह कार्य सदन तथा उद्योग के हित में नहीं होगा ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि चूंकि प्रशुल्क आयोग अब मूल्य निर्धारण करने की सिफारिश कर रहा है इस लिये रबड़ मूल्य परामर्शदात्री समिति अनावश्यक है । यदि यह परामर्शदात्री समिति केवल परामर्श देने का ही कार्य करती है तो इसके चालू रखने में क्या आपत्ति है ? मेरे विचार से इन दोनों निकायों के कार्यों में भी कोई झगड़ा होने की सम्भावना नहीं है ।

सरकार को संविधान के अनुसार जो विस्तृत अधिकार मिले हैं उनको दृष्टि में रखकर चाय बोर्ड का कार्य जनता, उद्योग-पतियों एवं कर्मचारियों के हितों की दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं रहा है । यदि माननीय मंत्री का यही रवैय्या रहा तो चाय बोर्ड के लिये कार्य करना बहुत कठिन हो जायेगा और माननीय मंत्री इसके द्वारा जो कार्य स्वयं करना चाहते हैं वह भी नहीं होगा ।

ज्ञात हुआ है कि चाय बोर्ड में एक प्रचार अधिकारी भी है जिसे अच्छा खासा वेतन दिया जाता है किन्तु प्रचार के नाम पर वह कुछ नहीं करता है । इस प्रकार के अधिकारी देश की कोई सहायता नहीं करते हैं अपितु भाई भतीजा वाद के प्रतीक हैं । रबड़ उद्योग का मेरे राज्य से बहुत गहरा सम्बन्ध है और पहले रबड़ बोर्ड ने ही सारी मुसीबत खड़ी की थी । श्री कुरियन जान एक मुंहफट आदमी थे किन्तु उन्हें इस व्यवसाय का अनुभव बहुत था । एक छोटे दर्जे के स्टैनोग्राफर को सचिव बना कर वहां भेजा गया किन्तु उसे बोर्ड के सचिव के रूप में नहीं स्वीकार किया गया सचिव का पद और विशेषत: बोर्ड के सचिव का पद बड़ी मर्यादा वाला पद है, मंत्री महोदय को सनक की अपेक्षा बोर्ड की मर्यादा अधिक महत्वपूर्ण है । यह सब मैं केवल इस लिये कह रहा हूं ताकि मंत्रालय के रवैय्ये में परिवर्तन हो । प्रत्येक बोर्ड को मंत्री महोदय की सनक और उसके अधिकारों के लिये नहीं अपितु उद्योग के हित में काम करना चाहिये । बोर्ड का प्रजातंत्रात्मक ढांचा एक तंत्रीय ढांचे में बदल दिया गया है जिस से हमें काफी रोष है । यह रवैय्या ठीक होना चाहिये ।

अन्त में इतना कह कर कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडे) मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रवर समिति इस विधेयक में आवश्यक सुधार कर सकती है और वह उपयुक्त सुधारों को मानने के लिये सदा तैयार हैं ।

पूर्ववर्ती वक्ता से मैं इस बात में बिलकुल सहमत हुं कि माननीय मंत्री स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विकसित कर रहे हैं । वह अपने हाथों में समस्त अधिकार केन्द्रित करना चाहते हैं । दुर्भाग्यवश, इस अधिकार लालसा के सबसे अधिक शिकार पश्चिमी तट के लोग हैं । यहां के लोग अपनी समृद्धि तथा आर्थिक जीवन के लिये अधिकतर बागान उद्योग पर निर्भर हैं । इस लिये यदि माननीय मंत्री अपने हाथ में समस्त अधिकार ले लेते हैं तथा बोर्ड के निर्माण में कुछ लोकतंत्री तत्व नहीं रहने देते , तो इस से हमारे हितों को बहुत धक्का पहुंचेगा ।

रबड़ सामरिक-दृष्टि से अत्यन्त महत्व-पूर्ण है और अपनी आवश्यकता हम अपने उत्पादन से पूरी कर लेते हैं। किन्तु देश के अर्थ तंत्र के लिये इस के विकास की बड़ी आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि रबड़ का उत्पादन प्रत्येक जगह नहीं किया जा सकता। इसके लिये विशिष्ट जलवायु का होना आवश्यक है। और हमारा तट इसके उत्पादन के अनुकूल है। मुझे विश्वास है कि स्वयं माननीय मंत्री इस विकास के लिये उत्सुक होंगे। जब वह मंत्री पद पर नहीं थे उस समय उन्होंने रबड़ उत्पादकों के हितार्थ काफी प्रयत्न किया था और इसमें सफलता प्राप्त की थी। जिस समय रबड़ का भाव विदेशी बाजारों में लगभग ४५० रुपये प्रति १०० पौंड था और हमारे यहां सरकार द्वारा केवल ९० रुपये ८ आना निर्धारित किया गया था, तो वह उत्पादकों के हित के लिये लड़े थे। किन्तु अब वह यह सोचते हैं कि यदि सरकार अपनी मर्जी के अनुसार इसको नियंत्रित करे और बोर्ड पर पूरा अधिकार रखे तो यह उद्योग ठीक प्रकार से विकसित हो सकेगा। मैं समझता हूं कि एक प्रजातंत्र में इस प्रकार की चीज़ बहुत ग़लत है।

जैसा अभी श्री श्रीकान्तन नायर ने बतलाया, चाय बोर्ड के निर्माण में क्या हुआ है? त्रावनकोर-कोचीन राज्य में दक्षिण भारत का लगभग ५० प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है, किन्तु फिर भी चाय बोर्ड में त्रावनकोर कोचीन का एक भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया गया है, यद्यपि इसमें दक्षिण के चार प्रतिनिधि हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि किसी उद्योग को, जिसपर सहस्रों व्यक्तियों का जीवन अवलम्बित है, किसी मंत्री के विवेक पर छोड़ देना ठीक नहीं है।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में यह स्पष्ट नहीं किया कि मूल अधिनियम में यह संशोधन करना क्यों आवश्यक हो गया। क्या कारण है कि वह चाहते हैं कि बोर्ड के सदस्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जायें? अब तक की सदस्यों के चुनाव की पद्धति में वह क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं? कम से कम मूल्य निर्धारण और आयात व निर्यात के मामलों में बोर्ड की मंत्रणा से कार्य क्यों न किया जाये? यदि यह बोर्ड उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों में सरकार मंत्रणा नहीं दे सकता तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या है? मूल अधिनियम के अनुसार भी सरकार को बोर्ड की सिफारिशें संशोधित करने अथवा अस्वीकृत करने तक का अधिकार है, किन्तु अब यह सिफारिश करने का अधिकार भी उससे लिया जा रहा है। मुझे कहना पड़ता है कि यह अति है। यदि ऐसी बात है, तो फिर बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता है, फिर तो उसे आप एक सरकारी विभाग के रूप में ही चला सकते हैं। यह दिखावा बेकार है। यदि आप वास्तव में बोर्ड का निर्माण करना चाहते हैं तो इसकी रचना में लोकतंत्री पुट दीजिये। उत्पादकों को इसका मौका मिलना चाहिये कि उनके प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में स्थान मिले, कामकरों को बोर्ड में जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये और उनके प्रतिनिधियों को नाम निर्देशित करने से पूर्व सरकार को उनके संगठनों से अवश्य परामर्श कर लेना चाहिये।

यदि यह सम्भव हो, तो हमें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि विदेशी हितों का इस उद्योग से यथाशीघ्र समापन हो जाये। यह राष्ट्र के हित में होगा। अब यह दलील नहीं दी जा सकती कि हमें अपने बागान उद्योगों के लिये विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने कहा

(श्री दामोदर मेनन]

कि विदेशी बागानों का उत्पादन अधिक है। किन्तु इसका कारण केवल यह है कि विदेशियों के पास बहुत बड़े बागान हैं तथा भारतीयों के बागान बहुत छोटे हैं। छोटे उत्पादकों के हित में ही, यह अधिक अच्छा होगा कि यथासम्भव शीघ्र विदेशी बागानों को समाप्त कर दिया जाये।

अन्त में मुझे यही कहना है कि बोर्ड की रचना ठीक प्रकार से की जाये। इसके अध्यक्ष तथा सभापति का चुनाव हो जिससे कि इसमें लोकतंत्री पुट रहे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को समस्त अधिकार अपने हाथ में केन्द्रीभूत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। बोर्ड को उचित अधिकार मिलना चाहिये। चाय बोर्ड के बारे में भी इसी प्रकार की चीज की गई थी और आगामी विधेयक में भी जो माननीय मंत्री प्रस्तुत करने वाले हैं यही चीज़ है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री एक भिन्न दृष्टिकोण अपनायेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): रबड़ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामरिक वस्तु है और हम सब स्वभावतः ही इसके विकास के लिये उत्सुक हैं। दुर्भाग्यवश, सरकार की नीति एकरूप तथा स्थिर नहीं है और इससे उस उद्योग के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता।

जैसा मेरे माननीय मित्र श्री मेनन ने अभी कहा, आगे से सभापति, उप-सभापति तथा आयुक्त को सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाया करेगा। उस दिन माननीय मंत्री कह रहे थे कि आखिर हमारी सरकार एक लोकतंत्री सरकार है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकार के किसी भी कार्य पर संसद में विचार-विमर्श किया जा सकता है, इस लिये बोर्ड के सदस्यों को नाम निर्देशित करने में क्या हानि है? किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि न केवल सरकार का ढांचा लोकतंत्री होना चाहिये, अपितु सरकार की नीति और उसकी कार्य-पद्धति भी लोकतंत्री होनी चाहिये। जबसे वे मंत्री हुये हैं, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड तथा अन्य बोर्डों का निर्माण हुआ है और उनकी रचना में चुनाव के स्थान पर नामनिर्देशन की प्रणाली लागू कर दी गई है। यह अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व मंत्री जी को हमें बताना चाहिये कि विद्यमान बोर्डों में क्या खराबियां हैं जिसके कारण कि ऐसा परिवर्तन करना वांछनीय हो गया है। यह एक प्रतिगामी कदम है। ऐसी चीज़ का प्रभाव क्या होता है, यह हम चाय बोर्ड की रचना में देखते हैं। दक्षिण के चार सदस्य उसमें नाम निर्देशित किये गये हैं और वे चारों मद्रास के हैं, जहां से कि स्वयं माननीय मंत्री आये हैं, जब कि त्रावनकोर-कोचीन का, जहां कि ५० प्रतिशत चाय का उत्पादन है, एक भी सदस्य उसमें नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह बात मैं अपने उत्तर में स्पष्ट करना चाहता था किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि श्री अनन्त शिवम् जो त्रावनकोर-कोचीन के हैं, चाय बोर्ड के सदस्य हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: जहां तक मुझे जानकारी है, त्रावनकोर-कोचीन को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जो भी हो, मैं सही बात मानने को तैयार हूं।

उद्देश्य तथा कारण के विवरण में एक वाक्य है जो मैं पढ़ना चाहता हूं:

"यदि सभापति और उप-सभापति चुने जाने के बजाय केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें तो बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हो जायेंगे।"

इसका केवल यही अर्थ है कि यदि वे सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तो सरकार या माननीय मंत्री की प्रत्येक बात को वे मान लेंगे। यदि वे किसी बात का विरोध करेंगे, तो उन्हें बोर्ड से हटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इस नामनिर्देशन सिद्धांत में लोकतन्त्र विरोधी तत्वों के होने के साथ साथ पक्षपात का भी एक बड़ा क्षेत्र खुल जाता है। उस दिन मैंने एक श्री कोठारी और उनके परिवार वालों का नाम सुना। जब भी किसी समिति में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रश्न सामने आता है, तो कोठारी परिवार के किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया जाता है। यह बहुत बुरी बात है। यदि माननीय मंत्री इसी लिये हमसे इस प्रस्ताव का समर्थन चाहते हैं, तो हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। इस विधेयक का केवल यह प्रयोजन है कि मंत्री महोदय अपने हाथ में लोगों को नियुक्त करने की समस्त शक्ति ले लें। इस लिये इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश में रबड़ का उत्पादन सन् १९४७ से बराबर बढ़ रहा है। तब से यह लगभग २९ प्रतिशत बढ़ चुका है। फिर भी भारत का रबड़ उत्पादन विश्व के रबड़ उत्पादन का केवल एक प्रतिशत है। किन्तु एक और दूसरा पहलू है। देश में उत्पादित सब रबड़ का हम स्वयं प्रयोग कर लेते हैं, निर्यात बिल्कुल नहीं किया जाता। किन्तु फिर भी सरकार ने रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठायें हैं। रबड़ बागानों में अनेक विदेशी मालिक हैं। हमें अपने बागानों का भारतीयकरण करने के लिये प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिये। यह मंत्रालय ऐसा करने में असमर्थ रहा है।

अन्त में, मुझे फिर यही कहना है कि बोर्डों में हमें चुनाव के सिद्धांत को अपनाना चाहिये। नाम निर्देशन सिद्धांत का माननीय मंत्री द्वारा बहुत दुरुपयोग किया गया है। यदि आप एक वास्तविक तथा अच्छा रबड़ बोर्ड चाहते हैं, तो उसका स्वायत्त होना आवश्यक है। नाम निर्देशन से यह स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। हमें यह देखना चाहिये कि आगे से बोर्डों के सदस्यों की नियुक्तियां चुनाव द्वारा हों और उनमें सभी हितों का उचित रूप से प्रतिनिधित्व हो।

श्री के० पी० त्रिपाठी (देवरिया) चाय बोर्ड अधिनियम के संशोधन के समय मंत्री जी ने नामनिर्देशन का सिद्धांत माना था। चाय में मुख्यतः विदेशियों के हित निहित थे। और बोर्ड में एक प्रतिनिधि थे वे ऐसे रूप में काम चलाते थे कि प्रतिफल भारतीय हितों के विरुद्ध होता था। उस समय भारत-सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चाय समिति से पृथक हो जाने का साहसपूर्ण तथा महत्वपूर्ण निश्चय किया, जिसका बोर्ड ने एक संकल्प द्वारा विरोध किया। तब बोर्ड से भारतीय हित में कार्य लेने की दृष्टि से उसके पुनः संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुई, चाय बोर्ड अधिनियम बना और नामनिर्देशन का सिद्धांत अपनाया गया। रबड़ उद्योग में विदेशी हितों का बहुमत है, और चाय बोर्ड की भांति रबड़ बोर्ड में भी संख्या में भारतीयों के अधिक होने पर भी नीति आदि में नेतृत्व विदेशियों के ही हाथ में रहता है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : कुरियन जान के समय से अब तक रबड़ बोर्ड का नियंत्रण भारतीयों, त्रावनकोर-कोचीन वासियों के हाथ में रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : परन्तु चाय बोर्ड की भांति उसमें भी विदेशी प्रतिनिधियों

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

की संख्या कम होने पर भी नीति आदि में विदेशियों का ही हाथ रहता है। इसी कारण नाम निर्देशन की आवश्यकता हुई। पता नहीं कि सरकार की रबड़ नीति क्या होगी। अच्छा हो उसके विकास के लिये एक अधिनियम बना दिया जाये। फिर जिस प्रकार चाय बोर्ड में नाम निर्देशन किये गये हैं, यदि वैसा ही रबड़ बोर्ड के विषय में भी किया गया तो, ठीक न होगा। हिन्द मजदूर सभा का एक सदस्य चाय बोर्ड में आसाम घाटी के लिये रखा गया है, यद्यपि सभा का क्षेत्र उत्तर बंगाल ही है और आसाम में उसका एक भी सदस्य नहीं है। यदि सरकार नामनिर्देशन की शक्ति रूपी दुधारा तलवार का ऐसा दुरुपयोग न करे, तो कोई कठिनाई पैदा न हो। गलतियां करते हुये प्रजातन्त्र शासन नहीं चल सकता। प्रजातन्त्र में शक्ति ग्रहण करना सरल है, पर उसका उपयोग कठिन है।

इन सारे बागान उद्योगों—चाय, कहवा, रबड़ आदि के बारे में हमारी एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। बोर्ड बना देने से ही नीति का निश्चय नहीं हो जाता। दुनिया में रबड़ की स्थिति बड़ी संकटमय हो गई है। सं० रा० अमरीका में एक सांश्लेसिक स्थानापन्न रबड़ तैयार की गई है, जो प्राकृतिक रबड़ से भी अधिक काम की सिद्ध हुई है और अमरीका सरकार ने इस के कारखाने निजी पूंजीपतियों को दे दिये हैं, जिससे वे दुनिया के बाजार में रबड़ की स्पर्धा में खड़े हो सकें। गत वर्ष मलाया में रबड़ न बिकने से पांच-बार मजूरी में कमी की गई थी। इससे श्रमिकों को बहुत परेशानी हुई है।

अतः इस उद्योग की बात करते समय सरकार को दीर्घकालीन नीति निर्धारित करनी होगी और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में इसे उचित स्थान दिलाने की ष्टि से श्रमिकों के लिये लाभ-प्रद मूल्य ढांचा बनाना होगा। आजकल सब कुछ मालिकों और प्रबन्धकों के ही लाभ के लिये किया जाता है, और श्रमिकों को बहुत थोड़ी मजूरी मिलती है। रबड़ मज़दूर को हफ्ते में सातों दिन और साल में दस महीने काम करना पड़ता है, और शेष दो महीने वर्षा के कारण काम न होने से उसे निकाल दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे इन दो महीनों में अवश्य कुछ मिलना चाहिये, क्योंकि हफ्ते में एक छुट्टी के ही हिसाब से उसे ५२ दिन मिल जाते। परन्तु विधेयक में इन बातों को सुधारने के लिये, श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये और मूल्य-ढांचा उनके पक्ष में ठीक करने के लिये कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है। ध्यान रहे, यह मूल्य-ढांचा तब बना था, जब अंग्रेजी सरकार की छत्र छाया में अंग्रेज मालिक सब कुछ अपने ही लिये रख लेना चाहते थे।

रबड़ बागानों में जीवन-दशा भी बहुत गिरी हुई है। केवल बागानों में मैंने देखा है कि एक परिवार के स्थान में तीन-तीन चार-चार परिवार रह रहे हैं। बरसाती में दो परिवार, रसोई में एक परिवार और छोटे से बरामदे में दो परिवार रहते हैं। रसोई में मचान पर पति-पत्नी सोते हैं, नीचे पत्नी का बाप। क्या ऐसी स्थिति में कुछ नैतिकता रह सकती है? फिर ये कारखाने बड़े-बड़े लाभ कमाते हैं। अब स्वाधीनता के बाद तो ये बातें बदलनी चाहिये थी, पर अब तक कुछ नहीं किया गया। अतः नये अधिनियमों में श्रम कल्याण के उपबन्ध भी अवश्य होने चाहिये। कई वर्षों से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता चला आ रहा हूं कि इन छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाने के लिये एक त्रिपक्षी आयोग बनाया जाये। पर वह

कहते हैं कि त्रिपक्षी आयोग उपयुक्त न होगा। परन्तु यदि यह आवश्यक न होता, तो चाय के बारे में राव समिति को पूरी सफलता मिलती। जब तक आयोग में इन उद्योगों के अनुभवी व्यक्ति न होंगे, वे पारदर्शी प्रश्न न पूछ सकेंगे और जांच व्यर्थ सिद्ध होगी। जब प्रश्न माला मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, तो इससे मालिकों को ही लाभ पहुंचता है, श्रमिकों को नहीं, परन्तु पता नहीं मंत्री जी क्यों यह समझते हैं कि जब श्रमिक कुछ मांग करते हैं, तो यह अवश्यमेव अनुचित ही होती है; और वह आधी मांग ही पूरी करते हैं। मेरी तो भविष्य वाणी है कि जब तक सभी आयोग त्रिपक्षी न होंगे, वे सर्वथा असफल रहेंगे और सम्बन्धित उद्योग की गुप्त बातों का पता न लगा सकेंगे। संसद के दोनों सदनों में माननीय मंत्री तथा वित्त मंत्री ने १९५२ के चाय के उद्योग के संकट काल में वचन दिये थे कि मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जायेगा, और सरकार ने इसी आधार पर बैंकों के अग्रिम देयों के बारे में १० प्रतिशत घाटे के लिये गारन्टी दी थी। पर पूंजीपतियों ने इस बात को न माना। लगभग ४०,००० व्यक्ति अस्थायी रूप से निकाल दिये गये। वे भूखों मरे। तीन महीने में ही यह अस्थायी संकट दूर हो गया। फिर चाय के दाम बहुत अधिक हो गये। मालिकों के एक प्रतिनिधि ने तो यहां तक कहा कि वे लाभ बढ़ जाने के कारण परेशान हैं। तो इस प्रकार लाभ वृद्धि और लाभ ह्रास के पाटों के बीच श्रमिकों को कुचला जाता है। लाभ-वृद्धि के समय लाभ कम हो जाने के भय से मजूरियां बढ़ाई नहीं जातीं, और लाभ कम होने पर उनकी कटौती कर दी जाती है। आसाम सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यहां तक कहा था कि संकट की समाप्ति तक ही नहीं, बल्कि उद्योग के सारे घाटों की पूर्ति तक मजूरी में कटौती बनी रहनी चाहिये। इस प्रकार मजूरी काट कर पूंजी खड़ा करना अनोखी बात है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति ऐसा करते हैं, परन्तु कोई सरकार इस बारे में उन्हें सहायता नहीं देती। पर सरकार का भी अज्ञान के सिवा और कुछ दोष नहीं, मालिकों ने संकट पैदा करके उसे साहस हीन बना दिया और संकट की समाप्ति पर भी वह कुछ न कर सकी। आज संकट समाप्त हो चुका है और उद्योग भारी लाभ कमा रहा है, पर अभी तक मजूरियां यथापूर्व नहीं की गई हैं। पहले तो न्यायाधिकरणों के निर्णय हमारे हित में होते नहीं, और एकाध हो भी जाये तो आसाम सरकार उसे कार्यान्वित नहीं कर पाती।

खेद यह है कि मूल्य-ढांचे के आंकड़े सरकार के पास नहीं रहते। १९५२ में यह १) से १।) तक प्रति पौंड था और सरकार ने इसे १४ आने से भी कम करा दिया था। १९५३ में भाव १।।।=) हो गये; और १) रुपया लाभ पर भी मजूरियां यथापूर्व न की गईं। बात यह है कि इस उद्योग की वित्त व्यवस्था ही अजीब है। रुपये देने वाला बैंक यह निश्चित करता है कि मजूरियां क्या हों। क्या किसी और उद्योग में ऐसा होता है? सरकार ने त्रिपक्षी आयोग का मेरा सुझाव नहीं माना, और उद्योग की स्थिति में सर्वथा अनजान समिति नियुक्त की। सरकार हमें संदेह की दृष्टि से न देखे। हम उद्योग के और राष्ट्र के हितैषी हैं। यदि ऐसा बना रहा, तो माननीय मंत्री राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य न निभा सकेंगे।

रबड़ का भाग्य-निर्णय भारत के बाहर होगा। सरकार उसका नियंत्रण अवश्य अपने हाथ में ले और कृत्रिम रबड़ को ध्यान में रखते हुये एक दीर्घ कालीन नीति बनाये और प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच मूल्य-ढांचे का उचित समन्वय करे। भारतीय

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

बागान उद्योग प्रबन्ध-व्यवस्था की बड़ी भारी लागत के कारण परेशान है और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की टुकड़ी ने भी प्रबन्ध के वैज्ञानिकन का सुझाव दिया था। वाणिज्य मंत्री स्वयं वैज्ञानिकन के पक्ष में हैं, अतः उन्हें यह सुझाव अवश्य मानना चाहिये था। आज कोई भी प्रबन्ध लागत कम करने के लिये वैज्ञानिकन की बात नहीं करता। यदि वैज्ञानिकन की कुछ बात छिड़ती भी है, तो वह मज़दूरों को कम करने की ही बात होती है।

इस देश में प्रत्येक उद्योग में कुछ ऐसी इकाइयां हैं, जो बहुत कम बचत कर पाती हैं और कुछ बहुत अधिक लाभ कमाती हैं। नीति यह होनी चाहिये कि दूसरी प्रकार की इकाइयों के लाभ कम करके पहले प्रकार की इकाइयों को विकसित किया जाये। विकासशील अर्थ व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है। अतिरिक्त लाभ विकास में लगाया जाना चाहिये। परन्तु ऐसी कोई नीति बनती नहीं दिखाई देती।

यह विधेयक विद्यमान स्थिति को ही बनाये रखना चाहता है। आज श्रमिक बुरी स्थिति में हैं और प्रबन्धक स्वतंत्र हैं, यह व्यवस्था चालू नहीं रहने देनी चाहिये।

संविधान में निदेशक तत्वों में बताया गया है कि आर्थिक विषमतायें कम करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये। यह निदेश सरकार के लिये है और उसे अपने प्रत्येक कार्य में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। ऐसा नहीं किया जा रहा है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह बागान उद्योगों और विशेषतः रबड़ उद्योग के बारे में दीर्घकालीन नीति अपनायें। दाम कम होने पर मजूरियां कम न होने पायें, इसका ध्यान रखा जाये। मजूरियां कम होने से देश की क्रय-शक्ति कम हो जाती है। प्रबन्ध की लागत कम करने की दृष्टि से सरकार मध्यस्थ निर्णय की यह शक्ति अपने हाथ में ले कि वह किस प्रकार कम की जा सकती है। मैं पूरे आग्रह के साथ अपना यह सुझाव दुहरा रहा हूं और यह केवल मेरा ही परामर्श नहीं, बल्कि आज सारा देश यही चाहता है। आशा है, माननीय मंत्री इस दृष्टि से न्याय करेंगे।

कई माननीय सदस्य उठे —

सभापति महोदय : शांति, शांति। समय पूरा हो गया। नियत समय में बीस मिनट बचे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को १० तारीख को बुलाऊंगा।

इसके पश्चात् सभा सोमवार, १० मई १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

G. I. P.—H. S.—164 P. S. D.—13-11 54—285